

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2025—वैशाख 19, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरे दस्तावेजों जैसे मूल निवासी-प्रमाण-पत्र, मतदाता परिचय-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सुरसती देवी पति जयनाथ साहू दर्ज है, जो कि सत्य एवं सही है। मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सरस्वती शाह पति जयनाथ साहू दर्ज है, जो कि त्रुटिबध् दर्ज हो गया है।

अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सुरसती देवी पति जयनाथ साहू के नाम से जाना एवं पहचाना जाए, इसी नाम का उल्लेख मेरे समस्त दस्तावेजों में किया जाए।

पुराना नाम

(सरस्वती शाह)

नया नाम

(सुरसती देवी)

पति—जयनाथ साहू

(G-1908)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रीती शुक्ला (PREETI SHUKLA) पति श्री जय प्रकाश शुक्ला, निवासी 529 ख, बीरखाम बर्गान, ग्राम बीरखाम, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.). पूर्व में मैं, अपने नाम के आगे अपने पिता का उपनाम सिंह तिवारी अंकित करती थी, चूंकि मेरा विवाह श्री जयप्रकाश शुक्ला से हो गया है, इस कारण मैं, अपने नाम के आगे उपनाम शुक्ला अंकित करने लगी हूँ अतः प्रकाशन उपरांत मुझे प्रीती शुक्ला के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा व दर्ज किया जावे।

प्रार्थिनी

(प्रीती शुक्ला)

(PREETI SHUKLA)

पति—श्री जय प्रकाश शुक्ला

(G-1909)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती नसीमबी खान पत्नी श्री अकरम खान, निवासी—खेतिया तह. पांसेमल जिला बड़वानी. शादी के पूर्व मेरा नाम शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में नसीमाबी (NasimaBee) है. कुछ अन्य शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम नसीमबी खान (NasimBee Khan) है. शादी के बाद से नसीमबी (NasimBee Khan) के नाम से जाना एवं पहचाना—जाता है तथा मुझे भविष्य में नसीमबी खान (NasimBee Khan) के नाम व सरनेम से जाना—पहचाना जाये.

पुराना नाम

(नसीमाबी)

(NasimaBee Khan)

(G-1910)

नया नाम

(नसीमबी खान)

(NasimBee Khan)

उपनाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती निष्ठा गौतम पत्नी पुनीत गौतम निवासी—ग्राम बरखेरा, पो. भटनवारा, तहसील उचेहरा, जिला सतना (म.प्र.). मेरा विवाह के पूर्व नाम निष्ठा मिश्रा पुत्री श्री दिनेश मिश्रा लिखती थी जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, मेरा विवाह पुनीत कुमार गौतम के साथ हुआ है जिससे मैं, अब अपना नाम निष्ठा गौतम पत्नी पुनीत कुमार गौतम लिखने लगी हूँ अब मुझे निष्ठा मिश्रा पिता दिनेश मिश्रा की जगह निष्ठा गौतम पत्नी पुनीत कुमार गौतम के नाम से जाना—पहचाना या सम्बोधित किया जाये.

पुराना नाम

(निष्ठा मिश्रा)

पुत्री—श्री दिनेश मिश्रा

(G-1911)

नया नाम

(निष्ठा गौतम)

पत्नी—पुनीत कुमार गौतम

नाम परिवर्तन

मैं, संतोषी बिश्रोई पति श्री श्रीराम बिश्रोई, निवासी—136, पवई आकृति सिटी, बाई पास रोड, हुजूर मिसरोद भोपाल (म.प्र.). मेरी शादी के उपरांत मेरा नाम सीता बिश्रोई हो गया है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में नये नाम सीता बिश्रोई (SITA BISHNOI) से जाना—पहचाना वा लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जाये.

प्रार्थिनी

(सीता बिश्रोई)

(SITA BISHNOI).

(G-1912)

नाम परिवर्तन

मैं, अर्जुन सिंह पुत्र भैयालाल निवासी—ग्राम सोहाया बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम धर्मेन्द्र यादव पुत्र भैयालाल अंकित हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम अर्जुन सिंह पुत्र भैयालाल है जो कि मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम अर्जुन सिंह पुत्र भैयालाल के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(धर्मेन्द्र यादव)

(G-1913)

नया नाम

(अर्जुन सिंह)

पुत्र— भैयालाल.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Sahil S/o. Mohammad Shafiq, resident of House No.-112, A-Sector, Hazrat Nizamuddin Colony, Piplani, BHEL, Bhopal (M.P.) have changed my name from Sahil to Mohammad Sahil. Hence in future I should be known and identified by the name of Mohammad Sahil.

Old Name
(Sahil)

New Name
(Mohammad Sahil)
S/o. Mohammad Shafiq

(G-1914)

नाम परिवर्तन

मेरा पूरा और सही नाम उमेश शिरोमणि द्विवेदी पुत्र श्री राम शिरोमणि द्विवेदी, निवासी-एल.आई.जी.-73. सरिताकाम्पलेक्स, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक में भी यही नाम अंकित है मैं, इसी नाम से जाना-पहचाना जाता हूँ, मेरी शैक्षणिक अंकसूचियों में मेरा नाम उमेश द्विवेदी लिखा गया है, जो कि गलत है. अतः अब, मुझे मेरे पूरे और सही नाम उमेश शिरोमणि द्विवेदी पुत्र-श्री राम शिरोमणि द्विवेदी के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम
(उमेश द्विवेदी)

नया नाम
(उमेश शिरोमणि द्विवेदी)
पुत्र-श्री राम शिरोमणि द्विवेदी.

(G-1915)

उपनाम परिवर्तन

मैं, आनंद कुमार जनवारे पिता सीताराम जनवारे, मेरे शैक्षणिक अंकसूचियों में मेरा नाम आनंद कुमार जनवारे पिता सीताराम जनवारे तथा माता का नाम बेला बाई जनवारे अंकित है, तथा मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम आनंद जनवार दर्ज है, जबकि मैं, अब भविष्य में अपना नाम आनंद कुमार जानोकर (ANAND KUMAR JANOKAR) करना चाहता हूँ. अतः भविष्य में मुझे आनंद कुमार जानोकर (ANAND KUMAR JANOKAR) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(आनंद कुमार जनवारे)
(ANAND KUMAR JANWARE)

नया नाम
(आनंद कुमार जानोकर)
(ANAND KUMAR JANOKAR)
पता-म.नं. 745, आगा चौक, बापू कॉलोनी,
महात्मा गांधी वार्ड, जबलपुर (म.प्र.).

(G-1916)

नाम परिवर्तन

मैं, भारती विश्वकर्मा पति स्व. लखन लाल विश्वकर्मा, निवासी-म.नं. 852, बाई का बगीचा, शीतला माई वार्ड, घमापुर जबलपुर (म.प्र.). मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम भारती पिता दामोदर प्रसाद विश्वकर्मा तथा मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम भागवती देवी विश्वकर्मा पति लखन लाल दर्ज है, जबकि मेरा सही नाम भारती विश्वकर्मा (BHARTI VISHWAKARMA) पति लखन लाल विश्वकर्मा (LAKHAN LAL VISHWAKARMA) है. अतः भविष्य में मुझे भारती विश्वकर्मा (BHARTI VISHWAKARMA) पति लखन लाल विश्वकर्मा (LAKHAN LAL VISHWAKARMA) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(भागवती देवी विश्वकर्मा)
(BHAGWATI DEVI VISHWAKARMA)

नया नाम
(भारती विश्वकर्मा)
(BHARTI VISHWAKARMA)
पति-स्व. लखन लाल विश्वकर्मा.

(G-1917)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद जुल्फिकार पिता मोहम्मद जकरिया, निवासी--दातार स्टोन हरमाला रोड, रतलाम (म.प्र.). मेरा पूर्व नाम मुन्ना खान पिता जकरिया था. मेरे पैन कार्ड, मेरे राजस्व अभिलेख में मुन्ना खान नाम था. मैंने नाम बदलकर मोहम्मद जुल्फिकार कर लिया, मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान-पत्र. निवासी प्रमाण-पत्र में मोहम्मद जुल्फिकार है. मैं, मुन्ना खान तथा मोहम्मद जुल्फिकार एक ही पुरुष हूँ. मेरे समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेज या जंहा कहीं पर मुन्ना खान अंकित हो वहां मोहम्मद जुल्फिकार पिता मोहम्मद जकरिया माना जावे, पढ़ा जावे व अंकित किया जावे. भविष्य में केवल मोहम्मद जुल्फिकार पिता मोहम्मद जकरिया के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम
(मुन्ना खान)
(G-1918)

नया नाम
(मोहम्मद जुल्फिकार)
पिता-मोहम्मद जकरिया.

CHANGE OF NAME

I, Anand Kumar Agrawal here declare that I have changed my name to Anand Agrawal S/o. Gokuldas Gulabchand Agrawal so, from now and in the future I will be Known by new name.

(G-1919)

Applicant
(Anand Agrawal)
Add. - 50, Gulmohar Colony, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, राजूबाई पति समरथमलजी जैन, निवासी-515, काटजू नगर, रतलाम. मेरा नाम राजू पिता गैदालाल था. मेरा विवाह होने पर मेरा नाम राजूबाई जैन पति समरथमलजी जैन कर लिया है. मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान-पत्र में राजूबाई जैन है. मैं राजू जैन तथा श्रीमती राजूबाई एक ही महिला हूँ. मेरे समस्त दस्तावेज बैंक, शेर, तथा शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय, या जंहा कहीं पर राजू जैन अंकित हो वहां श्रीमती राजूबाई जैन पति समरथमलजी जैन माना जावे व अंकित किया जावे. भविष्य में केवल श्रीमती राजूबाई जैन पति समरथमल जी जैन के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम
(राजू जैन)
(G-1920)

नया नाम
(राजूबाई)
पति-समरथमलजी जैन.

नाम परिवर्तन

मैं, सुमन पत्नी अनूप सिंह, निवासी-ग्राम बकतरा, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम आयशा रेहान पत्नी रेहान खान लिखा गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही एवं वास्तविक नाम सुमन पत्नी अनूप सिंह (SUMAN W/o. ANOOP SINGH) है. अतः राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद से मुझे सुमन पत्नी अनूप सिंह (SUMAN W/o. ANOOP SINGH) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(आयशा रेहान)
पत्नी-रेहान खान
(G-1921)

नया नाम
(सुमन)
पत्नी-अनूप सिंह.

नाम परिवर्तन

मैं, रामभरोसे आत्मज—चैन सिंह, पता—ग्राम आमाल्या, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम पवन मीणा आत्मज—चैन सिंह (PAWAN MEENA S/o. CHAIN SINGH) लिखा गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही एवं वास्तविक नाम रामभरोसे आत्मज चैन सिंह (RAMBHAROSE S/o. CHAIN SINGH) है. अतः राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद से मुझे रामभरोसे आत्मज—चैन सिंह (RAMBHAROSE S/o. CHAIN SINGH) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(पवन मीणा)

(G-1922)

नया नाम
(रामभरोसे)
आत्मज—चैन सिंह
(RAMBHAROSE S/o. CHAIN SINGH).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीवन्तिया बाई पत्नी जहूर सिंह, निवासी—वार्ड नं. 11, धनकूटा, पाली, फुनगा, अनूपपुर (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश सिखबतिया बाई गोंड (SIKHBANTIYA BAI GOND) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड में श्रीवन्तिया बाई (SRIVANTIA BAI) पत्नी जहूर सिंह, नाम दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में श्रीवन्तिया बाई (SRIVANTIA BAI) पत्नी जहूर सिंह, के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सिखबतिया बाई गोंड)
(SIKHBANTIYA BAI GOND)

(G-1923)

नया नाम
(श्रीवन्तिया बाई)
(SRIVANTIA BAI).

नाम परिवर्तन

मैं, रामकुमारी अहिरवार पत्नी श्री जयपाल अहिरवार, निवासी— म.नं. 58, ग्राम बैण्डरी, पोस्ट पलेरा, जिला—टीकभगढ़ (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम चिरेया पत्नी जयपाल अहिरवार अंकित हो गया है. मेरा वास्तविक एवं सही नाम रामकुमारी अहिरवार पत्नी श्री जयपाल अहिरवार है जो सही एवं सत्य है. अतः भविष्य में भी मुझे मेरे सही नाम रामकुमारी अहिरवार पत्नी श्री जयपाल अहिरवार से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
(चिरेया)

(G-1924)

नया नाम
(रामकुमारी अहिरवार)
पत्नी—श्री जयपाल अहिरवार.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी शैक्षणिक मतदाता परिचय—पत्र, समग्र आई.डी. में मेरा नाम अनिता पंवार पति रूपलाल पंवार दर्ज है, जो सही नाम है, जबकि आधार कार्ड में किरण ढोबारे पति रूपलाल ढोबारे दर्ज है. किरण मेरा घरेलू नाम है, ढोबारे मेरा गोत्र दर्ज हो गया है जो गलत नाम एवं सरनेम है. आज से मैं, अनिता पंवार पति रूपलाल पंवार के नाम से जानी—पहचानी जाऊंगी.

प्रार्थिनी
(अनिता पंवार)
पति—रूपलाल पंवार
पता—महदगांव पो. भडूस,
तह. जिला—बैतूल (म.प्र.).

(G-1925)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरुचि गलगले (SURUCHI GALGALE) पत्नी श्री सुभाष गलगले (SUBHASH GALGALE) पता-B-69, माचना कालोनी, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.). यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. पुष्पा प्रभुणे (PUSHPA PRABHUNE) पिता जी का नाम दामोदर राव प्रभुणे (DAMODAR RAO PRABHUNE) था. विवाह उपरान्त अब मेरा नाम सुरुचि गलगले (SURUCHI GALGALE) हो गया है. अतः अब मुझे वर्तमान में इस नाम से पहचाना जाये.

प्रार्थिनी

(सुरुचि गलगले)

पत्नी-श्री सुभाष गलगले.

(G-1926)

नाम परिवर्तन

मैं, अरसलान सफी खान, आत्मज-श्री नसीम उद्दीन खान व श्रीमती शैलवीना शबीना खान, निवासी-B-22, ओल्ड आलम नगर परिसर, नियर आलम नगर मस्जिद, कल्पना नगर रोड, भोपाल-22 (म.प्र.). मेरी सभी अंकसूची व प्रमाण-पत्र में मेरा नाम अंग्रेजी में M. ARSALAN SAFI KHAN आत्मज Mr. M.N.U. KHAN (short name) & Mrs. SHABINA KHAN (incomplete name) दर्ज है जो कि गलत है, मेरा सही नाम ARSALAN SAFI KHAN S/o Mr. NASIM UDDIN KHAN & Mrs. SHAILVINA SHABINA KHAN है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाये.

प्रार्थी

(ARSALAN SAFI KHAN)

(G-1927)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम श्वेता शर्मा पिता श्री बालकृष्ण शर्मा (SHWETA SHARMA D/o. BALKRISHNA SHARMA) था, जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों पर अंकित है, विवाह उपरान्त जिसको मैंने परिवर्तित कर श्वेता पिल्लई पति श्री अरुण शिवान पिता श्री अरुण शिवान पिल्लई (SHWETA PILLAI W/o. ARUN SHIVAN PILLAI) कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड पर अंकित है, अतः भविष्य में मुझे श्वेता पिल्लई पति श्री अरुण शिवान पिल्लई (SHWETA PILLAI W/o ARUN SHIVAN PILLAI) के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(श्वेता शर्मा)

नया नाम

(श्वेता पिल्लई)

पति-श्री अरुण शिवान पिल्लई

पता-486, वार्ड नं. 11, पुनासा कॉलोनी, आनंद बडी,

पिपरी ग्राम पिपरी, टीकरी तहसील,

जिला-बड़वानी (म.प्र.).

(G-1928)

उपनाम परिवर्तन

मैं, खुशबू समदरिया, पत्नी अमित कुमार समदरिया, निवासी-ग्राम देवरीहटाई, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में खुशबू तिवारी नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड में खुशबू समदरिया पत्नी अमित कुमार समदरिया दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में खुशबू समदरिया (KHUSHBOO SAMDARIYA) पत्नी अमित कुमार समदरिया के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(खुशबू तिवारी)

नया नाम

(खुशबू समदरिया)

(KHUSHBOO SAMDARIYA)

पत्नी-अमित कुमार समदरिया.

(G-1929)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै, रचना देवी, निवासी-वार्ड नंबर 34, एल. बी. एस. नगर लिंक रोड, पुरन पूरा, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरा नाम शादी के पूर्व रचना देवी था तथा मेरा नाम शादी के बाद से रचना चिडार हो गया. विवाह के पश्चात् से ही मेरे नाम के आगे "चिडार (CHIDAR)" सरनेम जुड़ने के कारण मेरा वास्तविक नाम रचना चिडार (RACHNA CHIDAR) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत से मुझे रचना चिडार (RACHNA CHIDAR) के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम
(रचना देवी)
(RACHNA DEVI)
(G-1930)

नया नाम
(रचना चिडार)
(RACHNA CHIDAR).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम बिट्टो बाई (BITTO BAI) पति स्व. श्री माताबदल पूरन था, जो कि मेरी अंकसूत्रियों एवं प्रमाण-पत्रों पर अंकित हो गया है, जिसको मैंने परिवर्तित कर बिट्टन बाई (BITTAN BAI) पति स्व. श्री माताबदल पूरन कर लिया है. जो मेरे आधार कार्ड पर अंकित है. अतः भविष्य में मुझे बिट्टन बाई (BITTAN BAI) पति स्व. श्री माताबदल पूरन के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(बिट्टो बाई)
(G-1931)

नया नाम
(बिट्टन बाई)
पति-स्व. श्री माताबदल पूरन
पता--45, हीरानगर, एम.आर. 10 के पास, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा वास्तविक नाम अमर कुमार नागदेव पुत्र स्व. श्री हरजस राय है मेरे राजस्व अभिलेखों में अमर लाल पुत्र स्व. हरजस राम दर्ज है. मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम अमर कुमार नागदेव पुत्र स्व. श्री हरजस राय दर्ज है. मैं, अपने समस्त कार्य अमर कुमार नागदेव पुत्र स्व. श्री हरजस राय के नाम से ही कर रहा हूँ तथा भविष्य में भी मैं, अमर कुमार नागदेव पुत्र स्व. श्री हरजस राय के नाम से जाना-पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम
(अमरलाल)
स्व. हरजस राम
(G-1932)

नया नाम
(अमर कुमार नागदेव)
पुत्र-स्व. श्री हरजस राय.

CHANGE OF NAME

I, JC-276498H Ex-sub Prahlad S/o Late Shri StyaNarayan Resident of H.N. 201, Sai Vihar Colony, Rau, Post & Tehsil-Rau District-Indore (M.P.). That I have changed my name from Prahlad to Prahalad Patidar.

Old Name
प्रहलाद
(PRAHLAD)
(G-1933)

New Name
प्रहलाद पाटीदार
(PRAHLAD PATIDAR).

नाम परिवर्तन

मैं, रूईदास चौहान पुत्र धूमा चौहान निवासी—मकान न. 3/2018, बी.डी.ए. कालोनी, अमरावत खुर्द, जिला भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रविदास चौहान अंकित हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम रूईदास चौहान (RUIDAS CHOUHAN) पुत्र धूमा चौहान है जो कि मेरे सभी शास्कीय दस्तावेजों में भी दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम रूईदास चौहान (RUIDAS CHOUHAN) पुत्र धूमा चौहान के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रविदास चौहान)
(RAVIDAS CHOUHAN)

नया नाम
(रूईदास चौहान)
(RUIDAS CHOUHAN)
पुत्र—धूमा चौहान.

(G-1934)

नाम परिवर्तन

मैं, रसिक लाल पाण्डेय पुत्र श्री रसिक दयाल पाण्डेय, निवासी—29 साई सिद्धा होम्स, रसूलिया, कोलार रोड, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मैं वर्तमान में समाज में रसिक लाल पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ यह नाम मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड पर अंकित हैं अब मैं, अपना नाम रसिक रूद्र पाण्डेय करवाना चाहता हूँ यह कि रसिक रूद्र पाण्डेय नाम मेरा स्वयं का है भविष्य में मैं, रसिक रूद्र पाण्डेय नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा.

(G-1935)

प्रार्थी
(रसिक लाल पाण्डेय).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती आशा तिवारी पत्नी श्री महेश प्रसाद तिवारी, निवासी—ए-113, कमला नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल. विवाह पश्चात् मेरा नाम कु. अन्नपूर्णा तिवारी पिता श्री हीरा लाल तिवारी की जगह आशा तिवारी हो गया है एवं मेरे सारे पहचान दस्तावेजों पर आशा तिवारी नाम दर्ज किया गया है, अतः भविष्य में मैं, इसी नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम
(अन्नपूर्णा तिवारी)

नया नाम
(आशा तिवारी).

(G-1936)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम प्रवीण यादव (PRAVEEN YADAV) था. जिसे परिवर्तित कर योगेश यादव (YOGESH YADAV) पिता श्री गोपीचंद यादव कर दिया है. अतः भविष्य में मुझे योगेश यादव (YOGESH YADAV) पिता श्री गोपीचंद यादव के नाम से जाना व पहचाना जावे.

(G-1937)

प्रार्थी
(योगेश यादव)
पिता—श्री गोपीचंद यादव
पता—81, ग्राम पिपल्याकला, पोस्ट बलवाड़ा,
तहसील खंडवा, जिला खंडवा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, अंजुम फातमा पुत्री श्री शेख अकील, निवासी—म.न. 39, गली. नं. 2, गुलशन, खंडवा (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अंजुम फातेमा (Anjum Fatema) दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा सही व सत्य नाम अंजुम फातमा (Anjum Fatma) है जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम अंजुम फातमा (Anjum Fatma) पुत्री शेख अकील के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अंजुम फातेमा)
(Anjum Fatema)

नया नाम
(अंजुम फातमा)
(Anjum Fatma)
पुत्री—शेख अकील.

(G-1938)

नाम परिवर्तन

मैं, चंद्रवती ओझा पत्नी श्री प्रहलाद ओझा, निवासी—प्लाट नं. 3—ए, नील सागर कॉलोनी, कलखेड़ा रोड, नीलबड़, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मीना ओझा (Meena Ojha) दर्ज है जो कि गलत है. जबकि मेरा सही एवं सत्य नाम चंद्रवती ओझा (Chandravati Ojha) पत्नी श्री प्रहलाद ओझा है जो कि सत्य एवं सही है. जो कि मेरे अन्य दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम चंद्रवती ओझा (Chandravati Ojha) पत्नी श्री प्रहलाद ओझा के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मीना ओझा)
(Meena Ojha)

नया नाम
(चंद्रवती ओझा)
(Chandravati Ojha)
पत्नी—श्री प्रहलाद ओझा.

(G-1939)

नाम परिवर्तन

मैं, नीलम कासलीवाल पति श्री सुबोध कासलीवाल, निवासी—244 बी, संगम नगर, किला मैदान, इंदौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम नीलम जैन कासलीवाल पति श्री सुबोध कासलीवाल दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही नाम नीलम कासलीवाल पति श्री सुबोध कासलीवाल है जो की सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम नीलम कासलीवाल पति सुबोध कासलीवाल के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जाये.

प्रार्थिनी
(नीलम कासलीवाल)

(G-1940)

नाम परिवर्तन

मैं, तरुण परिहार (TARUN PARIHAR) पिता श्री ओमप्रकाश परिहार, निवासी—345, महात्मा गांधी मार्ग, अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर (म.प्र.). के नाम से जाना जाता था. इस जाहिर सूचना के माध्यम से अवगत करना चाहता हूं कि मुझे अब तरुण सिंह परिहार (TARHUN SINGH PARIHAR) पिता श्री ओमप्रकाश परिहार के नाम से ही जाना जावे.

पुराना नाम
(तरुण परिहार)
(TARUN PARIHAR)

नया नाम
(तरुण सिंह परिहार)
(TARHUN SINGH PARIHAR).

(G-1941)

नाम परिवर्तन

मैं, रोमा देवानी (ROMA DEWANI) पिता SALAMATRAI HARCHANDMAL MADHYANI पति कैलाश देवानी, निवासी—म.नं. 1336, शोभापुर रोड, स्टेट बैंक के पास, अधरताल, जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे शिक्षा अभिलेखों में मेरा नाम ज्योति मध्यानी (JYOTI MADHYANI) दर्ज है एवं मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम ज्योति सलामतराय मध्यानी दर्ज है, जो कि पूर्व का नाम है. अतः मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में मेरा नाम JYOTI MADHYANI के स्थान पर ROMA DEWANI दर्ज करवाना चाहती हूँ तथा JYOTI MADHYANI उर्फ ज्योति सलामतराय मध्यानी एवं ROMA DEWANI उक्त दोनों नाम मेरे याने एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम रोमा देवानी से जाना-पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय-अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(रोमा देवानी)

(ROMA DEWANI)

पति—कैलाश देवानी.

(G-1942)

नाम परिवर्तन

मैं, नंदकिशोर भार्गव पुत्र श्री भवानी प्रसाद भार्गव, निवासी—वार्ड 06, महावीर मार्ग, किले अंदर, विदिशा (म.प्र.). मेरे दस्तावेज जैसे अंकसूची, ड्राइविंग लाइसेंस, समग्र आई.डी. कार्ड, बैंक आदि मेरा नाम नंदकिशोर भार्गव दर्ज है. किंतु त्रुटि बस पूर्व में मेरे आधार कार्ड पर, मेरा नाम केशव प्रसाद पुत्र भवानी प्रसाद भार्गव दर्ज है. मैं, अपना नाम परिवर्तित कर जहां-जहां केशव प्रसाद पुत्र भवानी प्रसाद भार्गव है, वहां नंदकिशोर भार्गव पुत्र श्री भवानी प्रसाद भार्गव पढ़ा व समझा जावे.

पुराना नाम

(केशव प्रसाद)

नया नाम

(नंद किशोर भार्गव)

पुत्र—भवानी प्रसाद भार्गव.

(G-1943)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री करुणा गौर का नाम मार्कशीट, समग्र आई.डी. में करुणा गौर दर्ज हैं लेकिन भूलवश आधार कार्ड में अनवी गौर दर्ज हो गया है. लेकिन वास्तविक नाम करुणा गौर ही है. भविष्य में मेरी पुत्री को करुणा गौर नाम से ही जाना जावे.

प्रार्थी

(अजमेर सिंह कुर्मी)

पता—ग्राम डुंगरिया कला, तहसील सिलवानी,
जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-1944)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रांशी झा पुत्री श्री प्रदीप झा, निवासी—102, शिव शक्ति नगर, अनोप सिनिमा के पीछे, इंदौर नंदा नगर (म.प्र.). मेरा पूर्व का नाम प्रांशु झा पुत्री श्री प्रदीप झा था जो मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों, अंकसूची एवं अन्य दस्तावेजों में लिखा है, अब से मैं, अपना नाम प्रांशी झा पुत्री श्री प्रदीप झा करना चाहती हूँ एवं आगे से मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना और पुकारा जायें, प्रांशी झा और प्रांशु झा दोनों मेरे ही नाम हैं. भविष्य में मुझे मेरे नये नाम प्रांशी झा पुत्री श्री प्रदीप झा के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जावें एवं मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम प्रांशी झा पुत्री श्री प्रदीप झा लिखा एवं पढ़ा जाए.

पुराना नाम

(प्रांशु झा)

नया नाम

(प्रांशी झा)

पुत्री—श्री प्रदीप झा.

(G-1945)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स माँ पीताम्बरा एग्रो फूड्स, निवास-55, गायत्री नगर वार्ड नं. 04, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.). स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक 02-43-01-0126-24, दिनांक 22 जुलाई 2024 है जिसमें दिनांक 30 अगस्त 2024 को भागीदार श्री अंकुर गौड़ पुत्र श्री राम सेवक, नि.-म.नं. 55, गायत्री नगर, वार्ड नं. 4, गोहद, जिला भिण्ड एवं श्री सोनू कुमार गौड़ पुत्र श्री फिलकू गौड़, नि.-फ्लैट नं.-813, आदित्य रेजीडेंसी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, सिटी सेंटर ग्वालियर, स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं एवं दिनांक 30 अगस्त 2024 को श्रीमती शकुंतला पत्नी श्री ब्रजेन्द्र सिंह, नि.-01, छीमका, पोस्ट खनेता, तह. गोहद, जिला भिण्ड, भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं.

मेसर्स माँ पीताम्बरा एग्रो फूड्स
राहुल सिंह तोमर
(भागीदार).

(G-1946)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स रामबाबू गर्ग, निवास-बारादरी चौराहा मुरार ग्वालियर स्थित है. जिसका पंजीयन क्रमांक 02-42-01-00102-08 एवं दिनांक 08/09/2008 है. जिसमें दिनांक 01/04/2013 को नितिन गर्ग पुत्र श्री रामबाबू गर्ग नि.-बारादरी चौराहा, मुरार, ग्वालियर जिला ग्वालियर, स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं दिनांक 09/09/2023 को श्री रामबाबू गर्ग पुत्र स्व. श्री हरीशचंद्र गर्ग नि.-बारादरी चौराहा, मुरार, ग्वालियर जिला ग्वालियर की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 09/09/2023 को श्री योग्य गर्ग पुत्र श्री संदीप गर्ग नि.-बारादरी चौराहा मुरार ग्वालियर जिला ग्वालियर फर्म में सम्मिलित हो गये हैं.

मेसर्स रामबाबू गर्ग
संदीप गर्ग
(भागीदार).

(G-1947)

नाम परिवर्तन

मैं, जाग्रति पांचाल (Jagrati Panchal) पुत्री श्री ललित पांचाल, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम जानवी (Janvi) है, जो मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गलत लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में जाग्रति पांचाल (Jagrati Panchal) पुत्री श्री ललित पांचाल के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जाग्रति पांचाल (Jagrati Panchal) एवं जानवी (Janvi) दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम जानवी (Janvi) के स्थान पर जाग्रति पांचाल (Jagrati Panchal) लिखा एवं पढ़ा जावे.

प्रार्थी
(ललित पांचाल)

पुत्र-श्री यशवंत पांचाल

(G-1948)

पता--206, जवाहर मार्ग, नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं रीद्धिमा मोरोलिया (RIDDIMA MOROLIYA) पुत्री श्री विक्रम कुमार, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम रीद्धिमा (RIDDIMA) है जो मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गलत लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में रीद्धिमा मोरोलिया (RIDDIMA MOROLIYA) पुत्री श्री विक्रम कुमार के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. रीद्धिमा मोरोलिया (RIDDIMA MOROLIYA) एवं शिद्धी (Shiddi) दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रीद्धिमा (RIDDIMA) के स्थान पर रीद्धिमा मोरोलिया (RIDDIMA MOROLIYA) लिखा एवं पढ़ा जावे.

प्रार्थी
(विक्रम कुमार)

पुत्र-श्री रामनिवास

(G-1949)

पता--वार्ड नं 21, हनुमान नगर, भिण्ड रोड,
गोला का मंदिर, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, अनुष्का मोरोलिया (ANUSHKA MOROLIYA) पुत्री श्री विक्रम कुमार, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम अनुष्का (ANUSHKA) है जो मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गलत लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में अनुष्का मोरोलिया (ANUSHKA MOROLIYA) पुत्री श्री विक्रम कुमार के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ जो मेरे शासकीय, अर्द्ध-शासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अनुष्का मोरोलिया (ANUSHKA MOROLIYA) एवं अनुष्का (ANUSHKA) दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अनुष्का (ANUSHKA) के स्थान पर अनुष्का मोरोलिया (ANUSHKA MOROLIYA) लिखा एवं पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(विक्रम कुमार)

पुत्र-श्री रामनिवास

(G-1950)

पता-वार्ड नं 21, हनुमान नगर, भिण्ड रोड,
गोला का मंदिर, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

मैं, अक्षिता पांचाल (Akshita Panchal) पुत्री श्री ललित पांचाल, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम अविका (Avika) है, जो मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गलत लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में अक्षिता पांचाल (Akshita Panchal) पुत्री श्री ललित पांचाल के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अक्षिता पांचाल (Akshita Panchal) एवं अविका (Avika) दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अविका (Avika) के स्थान पर अक्षिता पांचाल (Akshita Panchal) लिखा एवं पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(ललित पांचाल)

पुत्र-श्री यशवंत पांचाल

(G-1951)

पता-206, जवाहर मार्ग, नागदा, जिला-उज्जैन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, सिद्धि मोरोलिया (SIDDHI MOROLIYA) पुत्री श्री विक्रम कुमार सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम शिद्धी (Shiddi) है, जो मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गलत लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में सिद्धि मोरोलिया (SIDDHI MOROLIYA) पुत्री श्री विक्रम कुमार के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. सिद्धि मोरोलिया (SIDDHI MOROLIYA) एवं शिद्धी (Shiddi) दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम शिद्धी (Shiddi) के स्थान पर सिद्धि मोरोलिया (SIDDHI MOROLIYA) लिखा एवं पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(विक्रम कुमार)

पुत्र-श्री रामनिवास

(G-1952)

पता-वार्ड नं 21, हनुमान नगर, भिण्ड रोड,
गोला का मंदिर, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ प्रार्थिनी के नाम की सही स्पेलिंग CHARRU RAAUT है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आई.डी. आदि समस्त दस्तावेजों में मेरे नाम की स्पेलिंग CHARU RAUT दर्ज है, जो कि गलत है. CHARU RAUT और CHARRU RAAUT मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरे नाम की स्पेलिंग CHARU RAUT के स्थान पर CHARRU RAAUT पढ़ी, लिखी व समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज की जावे.

पुराना नाम

(CHARU RAUT)

W/o. SACHIN RAUT

(G-1953)

नया नाम

(CHARRU RAAUT)

W/o. SACHIN RAAUT

R/o-H.No. D-37, HARI SHANKAR PURAM, GWALIOR (M.P.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ प्रार्थी के नाम की सही स्पेलिंग SACHIIN RAAUT है जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आई.डी. आदि समस्त दस्तावेजों में मेरे नाम की स्पेलिंग SACHIN RAUT दर्ज है, जो कि गलत है. SACHIN RAUT और SACHIIN RAAUT मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरे नाम की स्पेलिंग SACHIN RAUT के स्थान पर SACHIIN RAAUT पढ़ी, लिखी व समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज की जावे.

पुराना नाम
(SACHIN RAUT)

(G-1954)

नया नाम
(SACHIIN RAAUT)

S/o. ARUN RAUT
R/o H.No. D-37, HARI SHANKAR PURAM
GWALIOR (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, वर्षा महेश काकिरडे पत्नी श्री महेश काकिरडे, निवासी-रावना टोला, तुलसी मानस मन्दिर की गली, जय स्तंभ चौक, सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.). यह कि मेरे पी.एफ. खाते में त्रुटिवश मेरा नाम सरवरी चटर्ची दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम वर्षा महेश काकिरडे पत्नी श्री महेश काकिरडे है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में भी दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम वर्षा महेश काकिरडे पत्नी श्री महेश काकिरडे के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सरवरी चटर्ची)

(G-1955)

नया नाम
(वर्षा महेश काकिरडे)
(Varsha Mahesh Kakirde)
पत्नी-श्री महेश काकिरडे
(Mahesh Kakirde).

नाम परिवर्तन

मैं, आशीष मसीह फिल्लिप (Ashish Masih Phillip) आत्मज-स्व. श्री आनंद मसीह फिल्लिप, निवासी-ग्राम मेंडोरी, कोपल कॉलेज के पीछे, बरखेड़ी खुर्द, रातीबड़ भोपाल. मेरी सेवा-पुरस्तिका में मेरा नाम आशीष मसीह फिलिप (Ashish Masih Philip) दर्ज है, जबकि मेरे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऑफिस आई.डी. एवं संपूर्ण दस्तावेजों में मेरा नाम आशीष मसीह फिल्लिप (Ashish Masih Phillip) आत्मज स्व. श्री आनंद मसीह फिल्लिप, अंकित है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम आशीष मसीह फिल्लिप (Ashish Masih Phillip) आत्मज-स्व. श्री आनंद मसीह फिल्लिप, के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा दर्ज किया जाए.

पुराना नाम
(आशीष मसीह फिलिप)
(Ashish Masih Philip)

आत्मज-स्व. श्री आनंद मसीह फिलिप
(G-1956)

नया नाम
(आशीष मसीह फिल्लिप)
(Ashish Masih Phillip)
आत्मज-स्व. श्री आनंद मसीह फिल्लिप
Anand Masih Phillip

उपनाम परिवर्तन

मेरे शासकीय दस्तावेज जैसे अंकसूची में मेरा नाम अनीता वर्मा (ANITA VARMA) है. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अनीता कुशवाहा (ANITA KUSHWAHA) है. प्रकाशन उपरांत मैं, अनीता कुशवाहा (ANITA KUSHWAHA) के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम
(अनीता वर्मा)
(ANITA VARMA)

(G-1957)

नया नाम
(अनीता कुशवाहा)
(ANITA KUSHWAHA).

नाम परिवर्तन

मैं, राजू सिंह कुर्मी (RAJU SINGH KURMI) पुत्र राम प्रसाद, पता-ग्राम तलापार, गमभीरिया पथरी, विदिशा भोपाल (म.प्र.). त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड एवं समस्त दस्तावेजों में, मेरा नाम खिलान सिंह (KHILAN SINGH) दर्ज हो गया है, जो गलत है, मेरा सही नाम राजू सिंह कुर्मी (RAJU SINGH KURMI) है. अतः प्रकाशन उपरान्त इसी नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा एवं यही नाम अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र आदि शासकीय-अशासकीय दस्तावेजों में पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(खिलान सिंह)
(KHILAN SINGH)
(G-1958)

नया नाम
(राजू सिंह कुर्मी)
(RAJU SINGH KURMI)

नाम परिवर्तन

मैं, दया सागर आग्री पुत्र श्री किशनलाल, निवासी-म.न. 194, प्रियंका नगर, राजदेव बस्ती, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे समस्त शैक्षणिक, आधार कार्ड, निर्वाचन आई.डी, शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम दया सागर आग्री है. मैंने अपना नाम दया सागर आग्री के स्थान पर सागर आग्री कर लिया है. अब मुझे नये नाम सागर आग्री पुत्र श्री किशनलाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(दया सागर आग्री)
(G-1959)

नया नाम
(सागर आग्री).

नाम परिवर्तन

मैं, ऐश्वर्या गुमास्ता पिता योगेन्द्र गुमास्ता, निवासी कहानी, सिवनी (म.प्र.). यह कि, मेरे स्कूल के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरी माता का नाम पूजा गुमास्ता पिता का नाम योगेन्द्र सिंह गुमास्ता लिखा है जो कि गलत है, जबकि मेरे कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में माता का नाम सुशीला गुमास्ता लिखा है. माता के समस्त दस्तावेजों में माता का नाम सुशीला गुमास्ता एवं पिता योगेन्द्र गुमास्ता ही चल रहा है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन के उपरान्त मेरी सभी शैक्षणिक एवं समस्त शासकीय-अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में नाम ऐश्वर्या गुमास्ता पिता योगेन्द्र गुमास्ता, माता सुशीला गुमास्ता लिखा, पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(ऐश्वर्या गुमास्ता)
(Aishwarya Gumasta)
माता-पूजा गुमास्ता
(Pooja Gumasta)
(G-1960)

नया नाम
(ऐश्वर्या गुमास्ता)
(Aishwarya Gumasta)
माता-सुशीला गुमास्ता
(Sushila Gumasta).

नाम परिवर्तन

मैं, जमना प्रसाद पिता श्री माधो सिंह, निवासी ग्राम धनौरा तहसील बैरसिया जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम जमना प्रसाद (JAMNA PRASAD) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम गोविन्द सिंह (GOVIND SINGH) हो गया है, अब मैं, अपने वास्तविक नाम जमना प्रसाद (JAMNA PRASAD) के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय-अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम
(गोविन्द सिंह)
(GOVIND SINGH)
(G-1961)

नया नाम
(जमना प्रसाद)
(JAMNA PRASAD)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के शासकीय एवं अन्य दस्तावेज़ जैसे जन्म प्रमाण पत्र व अंकसूचियों में पुत्री का नाम जानवी प्रजापत (JANVI PRAJAPAT) है मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम जान्हवी प्रजापत (JANHVI PRAJAPAT) है, अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को जानवी प्रजापत (JANVI PRAJAPAT) के नाम से जानी एवं पहचानी जायेगी.

पुराना नाम
(जान्हवी प्रजापत)
(JANHVI PRAJAPAT)
(G-1962)

नया नाम
(जानवी प्रजापत)
(JANVI PRAJAPAT).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अर्जुन सिंह पिता श्री भाईया लाल, निवासी-ग्राम सोहाया तहसील बैरसिया जिला भोपाल. मेरा वास्तविक नाम अर्जुन सिंह (ARJUN SINGH) है आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम धर्मन्द्र यादव (DHARMENDRA YADAV) हो गया है, अब मैं अपने वास्तविक व नये नाम अर्जुन सिंह (ARJUN SINGH) के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय /अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम
(धर्मन्द्र यादव)
(DHARMENDRA YADAV)
(G-1963)

नया नाम
(अर्जुन सिंह)
(ARJUN SINGH)

उपनाम परिवर्तन

मैं, दुली चंद्र पटेल आत्मज-श्री बैजनाथ पटेल, मेरी सेवा-पुस्तिका में त्रुटिवश मेरा नाम दुलीचंद्र कुर्मी दर्ज है. मेरे आधार कार्ड व बैंक पासबुक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम दुली चंद्र पटेल आत्मज-श्री बैजनाथ पटेल दर्ज है. ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दुली चंद्र पटेल आत्मज-श्री बैजनाथ पटेल से जाना-पहचाना जाये एवं मेरे सभी दस्तावेजों में यही पढ़ा जाये.

पुराना नाम
(दुलीचंद्र कुर्मी)
(G-1964)

नया नाम
(दुली चंद्र पटेल)
पता-वार्ड नंबर-04, शास्त्री नगर,
नागोद जिला सतना (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, गौरव मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सौरभ (SOURABH) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरा वास्तविक और सही नाम गौरव (GOURAV) है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मुझे मेरा सही नाम गौरव (GOURAV) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(सौरभ)
(SOURABH)

नया नाम
(गौरव)
(GOURAV)
पिता-श्री कमलेश कुमार
पता-03, पडरिया गढ़ी, गैरतगंज,
जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-1965)

नाम परिवर्तन

मैं, रूपेश केवट मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अभिषेक (ABHISHEK) गलत अंकित हो गया है. अतः मेरा वास्तविक और सही नाम रूपेश केवट (RUPESH KEVAT) है. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत मुझे मेरा सही नाम रूपेश केवट (RUPESH KEVAT) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जाए.

पुराना नाम
(अभिषेक)
(ABHISHEK)

नया नाम
(रूपेश केवट)
(RUPESH KEVAT)

(G-1966)

पिता-श्री दरयाव सिंह
पता-35, करैया जागीर, ग्राम-करैया जागीर,
गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, माखन प्रजापति सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे पुत्र का नाम राघवेन्द्र प्रजापति (Raghvendra Prajapati) है जो उसके दस्तावेजों में अंकित है. परन्तु आधार कार्ड एवं कुछ दस्तावेजों में उसका नाम रोशन प्रजापति (Roshan Prajapati) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन के उपरांत मेरे पुत्र को समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में राघवेन्द्र प्रजापति (Raghvendra Prajapati) के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए.

(G-1967)

प्रार्थी
(माखन प्रजापति)
पता-ग्राम बर्री, पोस्ट बासौदा,
जिला विदिशा, (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, सोनिया कश्यप मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम सोनाक्षी परमार तथा कुछ दस्तावेजों में सोनिया कश्यप अंकित है. सोनिया कश्यप तथा सोनाक्षी परमार दोनों एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन के उपरांत मुझे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में सोनाक्षी परमार (Sonakshi Parmar) के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम
(सोनिया कश्यप)
(Soniya Kashyap)

नया नाम
(सोनाक्षी परमार)
(Sonakshi Parmar)

(G-1968)

पता-वॉर्ड नंबर 15, राम वॉर्ड पनागर,
बम्होदा, पनागर, जबलपुर, (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रेखा विश्वकर्मा पति रमेश विश्वकर्मा मेरे पुत्र का सही नाम वारिस विश्वकर्मा (VARISH VISHWAKARMA) है एवं जो उसके सभी दस्तावेजों में अंकित है किंतु त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम प्रीत विश्वकर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है. अतः प्रकाशन के उपरांत मेरे पुत्र को सभी दस्तावेजों में प्रीत विश्वकर्मा के स्थान पर वारिश विश्वकर्मा (VARISH VISHWAKARMA) के नाम से पढ़ा-लिखा एवं पुकारा जाए.

(G-1969)

प्रार्थिनी
(रेखा विश्वकर्मा)
पति-रमेश विश्वकर्मा
पता-ग्राम पोस्ट सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सफायर एसोसियट्स जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00132/09 दिनांक 06 नवम्बर 2009 है। जो कि कृष्णाकुंज, गांधी रोड, ग्वालियर, (म.प्र.) में स्थित है। जिसमें दिनांक 01 मार्च 2025 को भागीदार श्री महेश भारद्वाज पुत्र श्री मुन्ना लाल भारद्वाज, निवासी-28 ललितपुर कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, (म.प्र.) फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01 मार्च 2025 को भागीदार श्री यश अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल निवासी-साई बाबा मन्दिर के पास, लक्ष्मी विला 14, खेरापति कालोनी, ग्वालियर (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये।

मेसर्स सफायर एसोसियट्स
(रोहित वाघवा)

भागीदार

पता-कृष्णाकुंज, गांधी रोड, ग्वालियर, (म.प्र.)

(G-1970)

नाम परिवर्तन

मैं, अनुराग शर्मा (ANURAG SHARMA) पुत्र श्री विनोद कुमार शर्मा, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम अन्नू शर्मा (ANNOO SHARMA) था जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, अनुराग शर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार शर्मा के नाम से जाना-पहचाना जाता हूँ जो मेरे जन्म प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है अनुराग शर्मा एवं अन्नू शर्मा दोनों मेरे ही नाम है। अतः मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम अन्नू शर्मा के स्थान पर अनुराग शर्मा लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(अन्नू शर्मा)

नया नाम

(अनुराग शर्मा)

पुत्र-श्री विनोद कुमार शर्मा

पता-ग्राम शिवलालपुरा, कुल्हौली,

सबलगाढ़, मुरैना (म.प्र.)

(G-1971)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the firms "SHANIDEV FILLING STATION" Survey 580/1, Village Sunhera, Sabalgarh, Morena (M.P.). Vide Registration No- 02-44-05-0011-21, dated 22nd April 2021 has been undergone for dissolution w-e-f 07th April 2025.

M/s Shani Dev Filling Station

(Nitendar Singh Rawat)

Partner.

(G-1972)

नाम परिवर्तन

मैं, राकेश कुमार सिहारे (RAKESH KUMAR SIHARE) पुत्र-श्री कालका प्रसाद सिहारे, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम राकेश गुप्ता (RAKESH GUPTA) था जो मेरे बालक के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, राकेश कुमार सिहारे पुत्र श्री कालका प्रसाद सिहारे के नाम से जाना-पहचाना जाता हूँ जो मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। राकेश कुमार सिहारे एवं राकेश गुप्ता दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः मेरे बालक के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम राकेश गुप्ता के स्थान पर मेरा सही नाम राकेश कुमार सिहारे लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(राकेश गुप्ता)

नया नाम

(राकेश कुमार सिहारे)

पुत्र-श्री कालका प्रसाद सिहारे

पता-गायत्री मंदिर के पीछे, गुप्तापुर, डबरा, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-1973)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the firms "M/S. CURIO CONSULTANCY SERVICES" of I-16, Aditya Puram, Bhind Road, Gwalior (M.P.) 474020 Vide Registration No- 02-42-01-0151-23, dated 08th November 2023 has undergone reconstitution in the partnership, whereby partner RANI PACHAURI D/o. SHRI KALYAN PRASAD KAMARTHI is retiring from the Firm w.e.f 20th February 2025.

M/s. CURIO CONSULTANCY SERVICES
(VARSHA RATHORE)
D/o. SHRI KESHAV SINGH JADON
Partner.

(G-1974)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स बंसल केपीटल सेल्स एंड सर्विस जो सर्वे नम्बर 313, गुना, अशोकनगर मैन रोड रातीखेडा, अशोकनगर (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-47-01-0317-21 दिनांक 23 दिसम्बर 2021 है. जिसमें दिनांक 22 अप्रैल 2025 को भागीदार श्रीमती रजनी अग्रवाल पत्नी श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल निवासी-सुभाष गंज अशोकनगर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से प्रथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 22 अप्रैल 2025 को श्रीमती नेहा अग्रवाल पत्नी श्री अंकित अग्रवाल, निवासी-सुभाष गंज अशोकनगर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. दिनांक 22 अप्रैल 2025 को फर्म का पता सर्वे नम्बर 313 गुना, अशोकनगर मैन रोड रातीखेडा, अशोकनगर से पतिवर्तित कर एच पी पेट्रोल पंप, गुना, अशोकनगर रोड, विलेज रातीखेडा, तहसील अशोकनगर कर दिया गया है.

मेसर्स बंसल केपीटल सेल्स एंड सर्विस
(अंकित अग्रवाल)
भागीदार.

(G-1975)

नाम परिवर्तन

मैं, दिलीप मालवीय (DILIP MALVIYA) आत्मज-श्री माखन लाल मालवीय, निवासी म.नं. 42. वार्ड नं. 8. चौपड़ा कॉलोनी, रेहटी जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र प्रफुल मालवीय (PRAFUL MALVIYA) के आधार कार्ड में उसका नाम उत्सव मालवीय (UTSAV MALVIYA) दर्ज है जो कि उसके घर का नाम है. मेरे पुत्र का वास्तविक एवं सही नाम प्रफुल मालवीय (PRAFUL MALVIYA) है जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत शासकीय/अशासकीय, स्कूल एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मेरे पुत्र को प्रफुल मालवीय (PRAFUL MALVIYA) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक
(दिलीप मालवीय)
(DILIP MALVIYA)
आ.-श्री माखन लाल मालवीय.

(G-1976)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सावित्री बाई पत्नी कन्हैयालाल है, उक्त नाम मेरे मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्ड, मेरे परिवार समग्र आई. डी. सूची में दर्ज है. मुझे सावित्री बाई के साथ-साथ रेखा नाम से भी परिवार में पुकारा जाता है उक्त दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही महिला के नाम है. भविष्य में अब मुझे अपना नाम श्रीमती रेखा पत्नी श्री कन्हैयालाल के नाम से जाना-पहचाना जाये तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मान्य किया जावे.

पुराना नाम
(सावित्री बाई)

नया नाम
(रेखा)
पत्नी-श्री कन्हैयालाल

(G-1977)

पता-42 घ, मजदूर नगर, शाहजहाँनाबाद, भोपाल.

नाम परिवर्तन

मैं, सुकृति द्विवेदी पत्नी श्री नितिन गौर, निवासी-C-805, मिक्सड टॉवर डी.बी. सिटी ऑफ आदित्य रेजीडेंसी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर, (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री का पहले नाम आहाना गौर AAHANA GAUR था, जबकि अब मैंने अपनी पुत्री का नाम आहाना AAHANA GAUR के स्थान पर जानकी गौर JANAKI GAUR रख लिया है. अतः अब, मेरी पुत्री को भविष्य में जानकी गौर JANAKI GAUR के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये एवं सभी शासकीय दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा जाये.

प्रार्थिनी

(सुकृति द्विवेदी)

(G-1978)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, ब्रज किशोर पुत्र श्री रमेश चन्द यह कि मेरे पुत्र का पहले नाम लव शर्मा Love Sharma था, जबकि अब मैंने अपने पुत्र का नाम लव शर्मा Love Sharma के स्थान पर लव्य शर्मा Lavya Sharma रख लिया है. अतः अब, मेरे पुत्र को भविष्य में लव्य शर्मा Lavya Sharma के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये. शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में नया नाम लव्य शर्मा Lavya Sharma मान्य किया जाये.

पुराना नाम

(लव शर्मा)

(Love Sharma)

नया नाम

(लव्य शर्मा)

(Lavya Sharma)

पिता-ब्रज किशोर

(G-1979)

पता-ग्राम मंगरोल, तहसील व पोस्ट सबलगढ, जिला मुरैना, (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/S Sankhla Brothers having head office at AB ROAD BARODI, SHIVPURI, MADHYA PRADESH, 473551 is a registered Partnership Firm with Registrar of Firms and Societies vide Registration No- ARG/Firm/40 dt- 06-10-2000.

Due to death of Shri Ashish Sankhla on 12-09-2024, Mr- Shreyansh Sankhla, the Legal Heir/Son of Shri Ashish Sankhla have been substituted as a partner to the partnership firm w-e-f 12-09-2024- Now the partners of the firm are :-

1. Mrs. Nidhi Sankhla
2. Mr. Shreyansh Sankhla

This public notice is being published for the purpose of registration of change in the composition of the partnership firm with the affice of Registrar of Firm and Society.

For M/S. SANKHLA BROTHERS

Nidhi Sankhla

(Partner).

(G-1980)

नाम परिवर्तन

मैं, राजकुमार तिवारी (Rajkumar Tiwari) पुत्र श्री रामसेवक तिवारी (Ramsevak Tiwari), निवासी-6, पिपरोनिया खेड़ा, दुर्गापुर बडेरा, पिछोर, शिवपुरी (म. प्र.). मेरे राजस्व दस्तावेजों में मेरा नाम शिवकुमार (Shivkumar) पुत्र-श्री रामसेवक तिवारी (Ramsevak Tiwari) अंकित है, किंतु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा नाम राजकुमार तिवारी (Rajkumar Tiwari) पुत्र श्री रामसेवक तिवारी (Ramsevak Tiwari) है, मैं इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ, उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के ही हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे राजकुमार तिवारी (Rajkumar Tiwari) पुत्र श्री रामसेवक तिवारी (Ramsevak Tiwari) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

(शिवकुमार)

(Shivkumar)

नया नाम

(राजकुमार तिवारी)

(Rajkumar Tiwari)

पुत्र-श्री रामसेवक तिवारी

(Ramsevak Tiwari)

(G-1981)

नाम परिवर्तन

मैं, आदित्य गौर (Aditya Gour) पुत्र श्री संतोष कुमार गौर (Santosh Kumar Gour), निवासी-वार्ड नं. 14, गुराडिया जाट, गुराडिया, नर्मदापुरम (होशंगाबाद) (म.प्र.). मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम आदित्य गोहारे (Aditya Gohare) पुत्र श्री संतोष कुमार गौर (Santosh Kumar Gour) अंकित है, किंतु मेरा सही उपजाति/सरनेम गौर (Gour) है, इसलिये मैं अपना उपनाम/सरनेम/नाम आदित्य गौर (Aditya Gour) पुत्र श्री संतोष कुमार गौर (Santosh Kumar Gour) कराना चाहता हूँ. अब मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे आदित्य गौर (Aditya Gour) पुत्र श्री संतोष कुमार गौर (Santosh Kumar Gour) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम
(आदित्य गोहारे)
(Aditya Gohare)

नया नाम
(आदित्य गौर)
(Aditya Gour)
पुत्र-श्री संतोष कुमार गौर
(Santosh Kumar Gour)

(G-1982)

नाम परिवर्तन

मैं, धर्मदास कुम्हार (Dharamdas Kumhar) पिता श्री अन्नी कुम्हार (Anni Kumhar) हूँ. मेरे पैन कार्ड में मेरा नाम धर्म दास प्रजापति (Dharam Das Prajapati) पिता श्री अन्नी प्रजापति (Annee Prajapati) अंकित है, किंतु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम धर्मदास कुम्हार (Dharamdas Kumhar) पिता श्री अन्नी कुम्हार (Anni Kumhar) है, मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे धर्मदास कुम्हार (Dharamdas Kumhar) पिता श्री अन्नी कुम्हार (Anni Kumhar) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

आवेदक
(धर्मदास कुम्हार)
(Dharamdas Kumhar)
पिता-श्री अन्नी कुम्हार
(Anni Kumhar)

(G-1983)

पता-24, वार्ड नं. 2, देवरी, देवरी, शहडोल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, बासना मंडल पत्नी चंद्रमणि नामदेव (Basna Mandal W/o Chandrmani Namdev), निवासी-म.नं. 435/6, वार्ड रोड, वार्ड नं. 6, काशी मार्केट के पास, चाकघाट, चौरा, चक, रीवा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में मेरा नाम वाशना मंडल (Vashana Mandal) भूलवश दर्ज हो गये हैं, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम बासना मंडल (Basna Mandal) है, जो मेरे नियुक्ति पत्र, पी.पी.ओ., मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन के उपरांत मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम बासना मंडल (Basna Mandal) दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी
बासना मंडल
(Basna Mandal)

(G-1984)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का नाम "मेसर्स कृपालु इन्डेन फर्म" जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 06/12/01/00137/15, दिनांक 07/01/2015 एवं फर्म का पता 599, तिलक वार्ड नं. 32, नरसिंगढपुरवा, जिला छतरपुर (म.प्र.) में स्थित है. जिसमें पूर्व से दो पक्षकार श्री आशीष बाजपेई पिता श्री छन्दीलाल बाजपेई एवं श्रीमती संगीता बाजपेई पिता श्री प्रकाश दीक्षित 50-50 प्रतिशत के भागीदार हैं तथा आज दिनांक 20/01/2025 को श्रीमती संगीता बाजपेई पिता श्री प्रकाश दीक्षित स्वेच्छा से पृथक हो रहे हैं एवं आज दिनांक 20/01/2025 से ही उक्त भागीदारी फर्म भंग हो रही है.

मेसर्स कृपालु इन्डेन फर्म
संगीता बाजपेई
(भागीदार).

(G-1985)

आम सूचना

सर्वसाधारण-को सूचित-किया जाता है कि फर्म का नाम "A G 8 VENTURES" जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 06-09-01-0047-23, दिनांक 30/07/2023 एवं फर्म का पता- 12/3, माता मढ़िया गली, खिन्नी ट्री के पास, वार्ड नं 09, शनीचरी, सागर, (म.प्र.). में स्थित है, जिसमें पूर्व से दो पक्षकार श्री कासिम खान पिता श्री अब्दुल खान एवं श्री संदीप सेन पिता श्री दुर्गा प्रसाद सेन हैं तथा आज दिनांक 01/03/2025 को श्री संदीप सेन पिता श्री दुर्गा प्रसाद सेन स्वेच्छा से पृथक हो रहे हैं एवं आज दिनांक को ही श्री शैलेश जैन पिता श्री भगवानदास जैन, आयु 51 वर्ष, निवासी 29/4, डॉ. सर हरिसिघ गौर मार्ग, सागर (म.प्र.). भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं.

"A G 8 VENTURES"

कासिम खान

(भागीदार).

(G-1986)

नाम परिवर्तन

मैं, नेमा बाई (NEMA BAI) पति-स्वर्गीय श्री बाबू लाल, निवासी-208, शंकर शाह नगर, वार्ड पोस्ट विधुत नगर, रामपुर, जबलपुर, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आई डी, तथा अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम मेमा बाई पति स्वर्गीय श्री बाबू लाल के नाम से अंकित है. मेरे सी.जी.एच.एस कार्ड में मेरा नाम नेमा बाई (NEMA BAI) पति स्वर्गीय श्री बाबू लाल अंकित हैं. दोनों नाम नेमा बाई (NEMA BAI) एवं मेमा बाई पति स्वर्गीय श्री बाबू लाल मेरे ही नाम हैं प्रकाशन उपरान्त मुझे नेमा बाई (NEMA BAI) के नाम से जाना-पहचाना एवं पढ़ा-लिखा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

नेमा बाई.

(G-1987)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती शकुन बाई पति स्व. श्री गनेश श्रीवास्तव, निवासी-म.नं. 173, गढ़ा वार्ड, बघा तालाब के सामने, पुरुवा, जबलपुर (म.प्र.). मेरा सही नाम श्रीमती शकुन बाई पति स्व. श्री गनेश श्रीवास्तव है. मेरे आधार कार्ड में शकुनतला बाई लिखा हुआ है, जबकि मेरा नाम श्रीमती शकुन बाई है, मेरे पति के सेवा अभिलेख में शकुन बाई दर्ज किया गया है. यह कि श्रीमती शकुन बाई एवं शकुनतला बाई ये दोनों ही नाम मेरे हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे श्रीमती शकुन बाई लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(शकुनतला बाई)

नया नाम

(शकुन बाई)

(G-1988)

PUBLIC NOTICE

NOTICE U/S 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT

As per Section 72 of the Indian Partnership Act, with effect from 01-04-2023 (1) Mr. Kapil Patel (2) Goverdhan Patel was admitted into the partnership of the mentioned firm Praful Paints And Chemical Products, Plot No- 16, Sector D-1, Sanwer Road, Industrial Estate, Indore (M.P) 452003 And with effect from 01-04-2023 Now (1) Mr. Milan Patel (2) Mr. Praful Patel (3) Mr. Dilip Patel (4) Mr. Rasik Patel (5) Mr. Tulsidas Mungra (6) Mr. Kapil Patel (7) Mr. Goverdhan Patel are working partners of the firm. The Constitution of the firm M/S PRAFUL PAINTS AND CHEMICAL PRODUCTS bearing registration number 03/27/01/0316/24, dated 14/11/2024.

For Praful Paints And Chemical Products

Dilip Patel

(Partner).

(G-1989)

PUBLIC NOTICE**NOTICE U/S 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT**

हर आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार UMIKA DEVELOPERS भागीदारी फर्म का गठन दिनांक 22/03/2024 को किया गया था जिसमें वर्तमान में 6 भागीदार सर्व 1. श्री वंदित जुनेजा पिता श्री सुनील जुनेजा, 2. श्री अनुज संघवी पिता श्री सुनील कुमार संघवी 3. श्री सुनील जुनेजा पिता श्री नरेन्द्रनाथ जी जुनेजा 4. BEYOND KEY SYSTEMS PRIVATE LIMITED 5. श्री नितिन श्रीमाली पिता श्री नंदकिशोर श्रीमाली 6. श्री तनमय श्रीमाली पिता श्री नितिन श्रीमाली है. उक्त भागीदारी फर्म का पुनर्गठन दिनांक 07/03/2025 को किया गया है, जिसमें 2 भागीदार Beyond Key Wealth Advisor LLP एवं भगवानदास कटारिया पिता श्री मोहनदास कटारिया INCOMING भागीदार है.

For M/s. UMIKA DEVELOPERS

Sunil Juneja

(Partner).

(G-1990)

नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम मरियम बाई पति मंसूर अली था, जब मेरा नाम मरियम मंसूर कालिकट वाला पति मंसूर लूकमांजी कलिकट वाला हो गया है, अब मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम

(मरियम बाई)

नया नाम

(मरियम मंसूर कालिकट वाला)

पता-483/ए, मरियम मंजिल, हाऊसिंग बोर्ड बस्ती,
बैरसिया रोड, भोपाल.

(G-1991)

नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम रबाब सैफी पति हुसैन सैफी था, अब मेरा नाम रबाब पति इकबाल हुसैन हो गया है, अब मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम

(रबाब सैफी)

नया नाम

(रबाब)

पता-एच-11, सैफिया हाउसिंग सोसायटी,
पन्ना नगर करोंद, भोपाल.

(G-1992)

आम-सूचना

M/S NEW BHARAT ENGINEERING WORKS फर्म के साझेदार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल, पंजीयन क्र. 01/01/01/0256/21, दिनांक 01/11/2021, है. साझेदार 1. Razia Begun की मृत्यु (Death) दिनांक 23/10/2024 को हो गई साथ ही फर्म में दिनांक 11/02/2025 को साझेदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया. फर्म में 1 (एक) नये 1 Asim Aziz भागीदार के रूप में सम्मलित/शामिल किया गया उक्त साझेदारी संशोधन विलेख दिनांक 23/10/2024 से माना जायेगा, भागीदारी संशोधन विलेखानुसार सम्मलित/शामिल साझेदार को संलेख में भागीदार के अधिकार प्राप्त होंगे.

For M/S NEW BHARAT ENGINEERING WORKS

ARSHAD AZIZAdd.- 27A, SECTOR-H, INDUSTRIAL AREA,
GOVINDPURA, BHOPAL.

(G-1993)

नाम परिवर्तन

मैं, सबीना खान पत्नी स्वर्गीय शरीफ खान, निवासी-म नं. 344/A सेक्टर, न्यू अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश आभा चतुर्वेदी पत्नी स्वर्गीय बृज किशोर चतुर्वेदी दर्ज है जो कि गलत है जबकि मेरे मूल निवासी प्रमाण-पत्र एवं जन्म प्रमाण-पत्र व समग्र आई.डी. में सबीना खान (SABINA KHAN) पत्नी स्वर्गीय शरीफ खान दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सबीना खान (SABINA KHAN) पत्नी स्वर्गीय शरीफ खान के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(आभा चतुर्वेदी)

पत्नी-स्वर्गीय बृज किशोर चतुर्वेदी

(G-1994)

नया नाम

(सबीना खान)

(SABINA KHAN)

पत्नी-स्वर्गीय शरीफ खान.

नाम परिवर्तन

मेरा नाम योगेश सोनी पुत्र स्व. श्री रज्जन नेपाली है तथा स्थाई निवासी प्रमाण-पत्र एवं स्कूल की मार्कशीट में मेरे पिता का नाम रज्जन नेपाली/रज्जन सोनी है तथा अन्य दस्तावेज एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में रज्जन सोनी अंकित है अतः अब मुझे योगेश सोनी पुत्र स्व. श्री रज्जन सोनी के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

प्रार्थी

(योगेश सोनी)

पुत्र स्व. श्री रज्जन सोनी

पता-मकान न.-13, प्रेमपुरा भदभदा रोड,

भोपाल (म.प्र.).

(G-1995)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रेशमा जायसवाल पत्नी स्व. श्री फूल सिंह, दस्तावेजों में नाम अंकित है तथा त्रुटिवश से पीएफ दस्तावेजों में मेरे पति का नाम फूलचन्द लिखा हुआ है जबकि वास्तविक में मेरे पति का नाम फूल सिंह था तथा मुझे मेरे सही नाम रेशमा जायसवाल पत्नी स्व. श्री फूल सिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

प्रार्थिनी

(रेशमा जायसवाल)

पत्नी-स्व. श्री फूल सिंह

पता-मकान न.-213, एल.आई.जी हाउसिंग बोर्ड कालोनी,

नारियल खेड़ा, भोपाल (म.प्र.).

(G-1996)

नाम परिवर्तन

मैं, महेन्द्र एस गावंडे पुत्र स्व. श्री व्ही. जी. गावंडे, निवासी-09, अना. नगर, गुलमोहर, जी-3, सेक्टर, शाहपुरा, भोपाल (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम महेन्द्र कुमार गावंडे (MAHENDRA KUMAR GAWANDE) दर्ज है, एवं कुछ दस्तावेजों में महेन्द्र कुमार (MAHENDRA KUMAR) दर्ज है. लेकिन मेरे आधार कार्ड एवं ड्राईविंग लाइसेंस में मेरा नाम महेन्द्र एस गावंडे (MAHENDRA S GAWANDE) नाम दर्ज है, उक्त सभी नाम मेरे ही हैं. अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में मुझे महेन्द्र एस गावंडे (MAHENDRA S GAWANDE) पुत्र स्व. श्री व्ही. जी. गावंडे (V G GAWANDE) श्री स्व. वेंकटराव गंगाराम गावंडे के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(महेन्द्र एस गावंडे)

(MAHENDRA S GAWANDE)

पुत्र-स्व. श्री व्ही. जी. गावंडे

S/o. V G GAWANDE.

(G-1997)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व में नाम माधव, (Madhav) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मेरे पुत्र युवान मकवाना (Yuvan Makwana) के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावेगा एवं शासकीय, अशासकीय कार्यालय में अंकित करवाया जावेगा.

प्रार्थिनी

(प्रियंका मकवाना)

(Priyanka Makwana)

पता-14बी, राजनगर, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1998)

नाम परिवर्तन

पुर्व में मेरा नाम अर्चना परिहार पति अजय सिंह परिहार, Archana Parihar W/o Ajay Singh Parihar था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे अर्चना शाक्य पति अजय सिंह परिहार, Archana Shakya W/o Ajay Singh Parihar, के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावेगा एवं शासकीय, अशासकीय कार्यालय में अंकित करवाया जावेगा.

प्रार्थिनी

(अर्चना शाक्य)

(Archana Shakya)

पता-1145, न्यू गौरी नगर, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1999)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम जमील खान (JAMEEL KHAN) पिता बाबू खान (BABU KHAN), लिखा व पढ़ा जाता था जिसे बदलकर जमील अहमद (JAMEEL AHMAD) पिता बाबू खान (BABU KHAN) कर लिया है, जिसके बाद अब मुझे अपने परिवर्तित नाम जमील अहमद (JAMEEL AHMAD) पिता बाबू खान (BABU KHAN) से ही जाना, पहचाना, पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(जमील खान)

(JAMEEL KHAN)

नया नाम

(जमील अहमद)

(JAMEEL AHMAD)

पिता-बाबू खान

पता-2, 1, नीम वाली सड़क,

जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.).

(G-2000)

उपनाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम खलील खान (KHALEEL KHAN) पिता बाबू खान (BABU KHAN), लिखा व पढ़ा जाता था जिसे बदलकर खलील अहमद (KHALEEL AHMAD) पिता बाबू खान (BABU KHAN) कर लिया है, जिसके बाद अब मुझे अपने परिवर्तित नाम खलील अहमद (KHALEEL AHMAD) पिता बाबू खान (BABU KHAN) से ही जाना पहचाना-पढ़ा-लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(खलील खान)

(KHALEEL KHAN)

नया नाम

(खलील अहमद)

(KHALEEL AHMAD)

पिता-बाबू खान

पता-8, 1, नीम वाली सड़क,

जहांगीराबाद, भोपाल (म.प्र.).

(G-2001)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कुछ दस्तावेजों में दया मंत्री (DAYA MANTRI) पति पंकज मंत्री दर्ज/अंकित है एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम दमयंती मंत्री (DAMAYANTI MANTRI) पति पंकज मंत्री दर्ज/अंकित है. उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे वास्तविक नाम दमयंती मंत्री (DAMAYANTI MANTRI) पति पंकज मंत्री के नाम से जाना व पहचाना जाये.

प्रार्थिनी

(दमयंती मंत्री)

पति-पंकज मंत्री

(G-2002)

पता-4, प्रगति विहार, बिचौली मर्दाना, इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम पन्नालाल परमार (PANNALAL PARMAR) पिता श्री पूरालाल परमार था जो मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है, किन्तु वर्तमान में मैं, पन्नालाल (PANNALAL) पिता श्री पूरालाल के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो कि मेरे वोटर कार्ड, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र एवं सेवा-अभिलेख पर अंकित है, पन्नालाल परमार एवं पन्नालाल दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर पन्नालाल (PANNALAL) पिता श्री पूरालाल लिखा पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(पन्नालाल परमार)

(PANNALAL PARMAR)

नया नाम

(पन्नालाल)

(PANNALAL)

पिता-श्री पूरालाल

(G-2003)

पता-डी 10/1, केवलरी लाइन, फर्स्ट बटालियन, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा वास्तविक व सही नाम प्रताप सिंह गोफनिया (PRATAP SINGH GOPHANIYA) पिता श्री अमर सिंह गोफनिया है, जो कि मेरे वोटर कार्ड पर दर्ज है किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम प्रताप (PERTAP) कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा नाम प्रताप सिंह गोफनिया (PERTAP SINGH GOPHANIYA) पिता श्री अमर सिंह गोफनिया दर्ज हो गया है. अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर (PERTAP) एवं (PERTAP SINGH GOPHANIYA) के स्थान पर प्रताप सिंह गोफनिया (PRATAP SINGH GOPHANIYA) पिता श्री अमर सिंह गोफनिया लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(प्रताप)

(PERTAP)

नया नाम

(प्रताप सिंह गोफनिया)

(PRATAP SINGH GOPHANIYA)

पिता-श्री अमर सिंह गोफनिया

पता-सी-4, कावेरी ब्लॉक, केवलरी लाइन,

फर्स्ट बटालियन, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2004)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम रेखा कुमार (REKHA KUMAR) पति सुरेश कुमार (SURESH KUMAR) था, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है, जिसको मैंने परिवर्तित कर मेरा नाम रेखा (REKHA) पति सुरेश कुमार (SURESH KUMAR) कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड पर अंकित है. अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम रेखा (REKHA) पति सुरेश कुमार (SURESH KUMAR) के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(रेखा कुमार)

(REKHA KUMAR)

नया नाम

(रेखा)

(REKHA)

पति-सुरेश कुमार

(G-2005)

पता-302, प्रीमियम टॉवर 4, ए बी मार्ग, शालीमार टारनशिप, इन्दौर, विजय नगर, इंदौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम बेला चंचलानी (BELA CHANCHLANI) पिता श्री तुलसीदास चंचलानी था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं मेरे पूर्व के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड पर अंकित है. जय पंजाबी से विवाह के उपरान्त मेरा नाम उदिता पंजाबी (UDITA PANJABI) पति श्री जय पंजाबी हो गया है. जो मेरे वोटर कार्ड, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड पर अंकित है. अतः भविष्य मे मुझे उदिता पंजाबी (UDITA PANJABI) पति श्री जय पंजाबी के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(बेला चंचलानी)
(BELA CHANCHLANI)

नया नाम
(उदिता पंजाबी)
(UDITA PANJABI)
पति-श्री जय पंजाबी
पता-28,ए, मोती महल, सेक्टर- सी,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-2006)

उपनाम परिवर्तन

मेरा वास्तविक व सही नाम रेजीना वर्गीस (REGINA VARGHESE) पति एलडोस वर्गीस है, जो की मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पैन कार्ड पर दर्ज है किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा नाम रेजीना साजी (REGINA SAJI) दर्ज हो गया है, अतः भविष्य मे मेरे सभी दस्तावेजों पर रेजीना साजी के स्थान पर रेजीना वर्गीस (REGINA VARGHESE) पति एलडोस वर्गीस लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(रेजीना साजी)
(REGINA SAJI)

नया नाम
(रेजीना वर्गीस)
(REGINA VARGHESE)
पति-एलडोस वर्गीस
पता-108, गीता नगर, फ्लैट न. 102,
एक्सेल अपार्टमेंट्स, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2007)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का वास्तविक व सही नाम नंदिनी कानूनगो (NANDINI KANUNGO) पिता सचिन कानूनगो है जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं उसके शैक्षणिक दस्तावेजो पर अंकित है. किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम नंदनी कानूनगो (NANDANI KANUNGO) दर्ज हो गया है, अतः भविष्य मे मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजो पर नंदनी कानूनगो के स्थान पर उसका सही नाम नंदिनी कानूनगो (NANDINI KANUNGO) लिखा-पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(नंदनी कानूनगो)
(NANDANI KANUNGO)

नया नाम
(नंदिनी कानूनगो)
(NANDINI KANUNGO)
पिता-सचिन कानूनगो
पता-36, पीर गली, इन्दौर (म.प्र.)

(G-2008)

नाम परिवर्तन

मैं, नूर जहाँ बी पत्नी श्री शेख फत्तू निवासी-मकान नम्बर 251, शिव नगर, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश घरेलु नाम गुडडी (GUDDI) दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड एवं मूल निवासी प्रमाण-पत्र में नूर जहाँ बी (NOOR JAHAN BEE) पत्नी श्री शेख फत्तू दर्ज है जो कि सही है. अतः राजपत्र प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में नूर जहाँ बी ((NOOR JAHAN BEE) पत्नी श्री शेख फत्तू के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(गुडडी)
(GUDDI)

नया नाम
(नूर जहाँ बी)
(NOOR JAHAN BEE)
पत्नी-श्री शेख फत्तू

(G-2009)

नाम परिवर्तन

मैं, हिना बी (HINA BEE) निवासी-491/1, वार्ड 10, सेमरी हरचंद, सोहागपुर, नर्मदापुरम, (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश आफरीन (AAFARIN) नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में हिना बी (HINA BEE) दर्ज है जो कि सही है. अतः राजपत्र प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में हिना बी (HINA BEE) के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(आफरीन)
(AAFARIN)

नया नाम
(हिना बी)
(HINA BEE).

(G-2010)

नाम परिवर्तन

मैं, किशोरी धोबी (KISHORI DHOBI) पुत्र श्री मंगल धोबी, निवासी-ग्राम पोस्ट सरिया, तहसील रामनगर, जिला मैहर (म.प्र.). यह कि मेरे सेवा-अभिलेख में त्रुटिवश शिवकुमार रजक (SHIVKUMAR RAJAK) नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम किशोरी धोबी (KISHORI DHOBI) पुत्र श्री मंगल धोबी दर्ज है जो कि सही है. अतः राजपत्र प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में किशोरी धोबी (KISHORI DHOBI) पुत्र श्री मंगल धोबी के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(शिवकुमार रजक)
(SHIVKUMAR RAJAK)

नया नाम
(किशोरी धोबी)
(KISHORI DHOBI)

(G-2011)

पुत्र-श्री मंगल धोबी.

नाम परिवर्तन

मैं, संतोष कुमार दुबे (SANTOSH KUMAR DUBEY) पुत्र-श्री बट्टीप्रसाद दुबे, निवासी-वार्ड नं. 10 पथरिया, तहसील जिला दमोह, (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश साक्ष्य दुबे (SAKSHYA DUBEY) नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में संकल्प दुबे (SANKALP DUBEY) पुत्र श्री संतोष कुमार दुबे दर्ज है जो कि सही है. अतः राजपत्र प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में संकल्प दुबे (SANKALP DUBEY) पुत्र श्री संतोष कुमार दुबे के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

(G-2012)

प्रार्थी
(संतोष कुमार दुबे).

उपनाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम रोमा कुमारी पति अरुण कुमार था, जिसमें अब हमने अपना उपनाम लगाकर रोमा कुमारी पंजाबी पति अरुण कुमार पंजाबी कर लिया है. अतः अब से मुझे मेरे आधार कार्ड सहित सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में हमारे पूरे नाम (उपनाम सहित) रोमा कुमारी पंजाबी पति अरुण कुमार पंजाबी से ही लिखा व पढ़ा जाए.

पुराना नाम
(रोमा कुमारी)
(Roma Kumari)
पति-अरुण कुमार
(W/o. Aroon Kumar)

(G-2013)

नया नाम
(रोमा कुमारी पंजाबी)
(Roma Kumari Punjabi)
पति-अरुण कुमार पंजाबी
(W/o Aroon Kumar Punjabi)
पता-206, नेहा पैलेस, 411 खातीवाला टैंक,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम संजय पिता रामचन्द्र लिखा हुआ है, कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम संजय छलोत्रे पिता रामचन्द्र छलोत्रे लिखा हुआ है तथा कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम संजय गुर्जर पिता रामचन्द्र गुर्जर लिखा हुआ है, मेरा सही नाम संजय गुर्जर पिता रामचन्द्र गुर्जर है, अतः अब से मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम संजय गुर्जर पिता रामचन्द्र गुर्जर करवाना चाहता हूँ, अतः अब से मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम संजय गुर्जर पिता रामचन्द्र गुर्जर ही लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम
(संजय)
(Sanjay)
पिता-रामचन्द्र
Ramchandra

नया नाम
(संजय गुर्जर)
(Sanjay Gurjar)
पिता-रामचन्द्र गुर्जर
Ramchandra Gurjar

पता-416, आराधना नगर, शिव मंदिर के पास,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-2014)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम जीवांश तोमर (जन्म प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड में) है, किन्तु अब हम उसका नाम परिवर्तित कर धार्मिक तोमर कर रहे हैं. अतः उसके जन्म प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड सहित उसे उसके सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसके नये नाम धार्मिक तोमर (Dharmik Tomar) से ही लिखा व पढ़ा जावे.

(G-2015)

प्रार्थी
(ओमप्रकाश तोमर)

पता-LIG 56, जवाहर नगर, देवास (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that my name's correct spelling is Nirmla Bhootda but in some of my documents my name's and surname's spelling is written Nirmala Shbhutada. So I want to correct it from Nirmala Shbhutada to Nirmla Bhootda. Henceforth my name shall be written and read as Nirmla Bhootda for all purposes.

Old Name
(Nirmala Shbhutada)

New Name
(Nirmla Bhootda)

Add :- M.No. 89, Ward no. 3, Mahatma Gandhi Marg,
Banjari, Dewas (M.P.).

(G-2016)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के आधार कार्ड में नाम विधि सिंह लेख है तथा उसके शैक्षणिक रिकार्ड में उसका नाम सृष्टि सिंह बघेल दर्ज है. विधि सिंह एवं सृष्टि सिंह बघेल दोनों नाम मेरी पुत्री के ही हैं. मैं, अपनी पुत्री का नाम आधार कार्ड में संशोधित कराकर उसके शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर सृष्टि सिंह बघेल कराना चाहता हूँ, अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को सही नाम सृष्टि सिंह बघेल के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

(G-2017)

प्रार्थी
(विष्णु प्रताप सिंह बघेल)

पता-विवेक नगर वार्ड नंबर 19 मैहर,
जिला मैहर (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Krishna Kunj Warehouse Registered office at Khasra No. 201-1-1 Pipliya Ghaghariya, Khategaon, Dewas (M.P.)-455001 and Registration No. is 07-38-05-0011-22, dated 21st April 2022, which was constituted vide Partnership deed executed on 18th January 2022.

In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 01st May 2024, Mrs. Kiran Bagdi W/o. Shri Sushil Bagdi has voluntarily retired from the firm due to her death.

Now Priyanshi is hereby admitted as a new partner in place of the late Mrs. Kiran Bagdi. Sushil Bagdi and Akshansh Bagdi formally declare that they have no financially, operationally or legal obligation towards the firm following the admission of Priyanshi. The legal heirs of Mrs. Kiran Bagdi namely her husband Mr. Sushil Bagdi and son Akshansh Bagdi have consented to admit Ms. Priyanshi Bagdi as a new partner in place of the deceased partner W.e.f 01st May 2024.

Now 1. Binita Kalota 2. Girija Bai 3. Ramraj Bai and 4. Priyanshi are the running Partners of the Partnership firm.

M/s. Krishna Kunj Warehouse

BINITA KALOTA

(Partner).

(G-2018)

नाम परिवर्तन

मैं, जगदीश सोहाया पिता रघुनाथ सोहाया, निवासी-डी-111, अलकापुरी, रतलाम (म.प्र.). प्रार्थी का नाम रेल्वे दस्तावेजों में जगदीश आर (JAGDISH R) एवं अंकसूची में जगदीचन्द्र एवं अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में जगदीश सोहाया पिता रघुनाथ सोहाया (JAGDISH SOHAYA S/o RAGHUNATH SOHAYA) अंकित है. प्रार्थी को उक्त तीनों नामों से जाना-पहचाना जाता है एवं तीनों नाम एक ही व्यक्ति के होकर प्रार्थी के ही नाम हैं. भविष्य में प्रार्थी को जगदीश सोहाया पिता रघुनाथ सोहाया (JAGDISH SOHAYA S/o. RAGHUNATH SOHAYA) के नाम से जाना-पहचाना जावे.

प्रार्थी

(जगदीश सोहाया)

पिता-रघुनाथ सोहाया.

(G-2019)

नाम परिवर्तन

मैं, दिलीप सिंह गुर्जर आत्मज-श्री खुमान सिंह, निवासी-ग्राम झिनिया काकंड, बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). यह कि सुमित गुर्जर (SUMIT GURJAR) मेरा पुत्र है, जिसका सही नाम सुमित गुर्जर (SUMIT GURJAR) है, जबकि त्रुटिवश मेरे पुत्र सुमित गुर्जर के आधार कार्ड में उसका गलत नाम पूनम (POONAM) लिखा है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम सुमित गुर्जर (SUMIT GURJAR) पुत्र श्री दिलीप सिंह गुर्जर है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सुमित गुर्जर पुत्र दिलीप सिंह गुर्जर के नाम से जाना-पहचाना जावे.

प्रार्थी

(दिलीप सिंह)

(G-2020)

नाम परिवर्तन

मैं, माया गामड़ पति सुरेश गामड़ (पिता बट्टीलाल खदेड़ा), निवासी-बी-28-सी, डोंगरे नगर, रतलाम (म.प्र.). विवाह के पूर्व प्रार्थिया का नाम माया खदेड़ा रहा है एवं उसी अनुसार प्रार्थिया का नाम शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेज एवं आधार कार्ड में माया खदेड़ा पति सुरेश गामड़ अंकित है. प्रार्थिया को उक्त दोनों नामों से जाना-पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं. भविष्य में प्रार्थिया को माया गामड़ पति सुरेश गामड़ के नाम से जाना-पहचाना जावे.

प्रार्थिया

(माया गामड़)

पति-सुरेश गामड़.

(G-2021)

कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 25 अप्रैल 2025

क्र.-559-प्रा.प.प्रा.-2024.- मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, ग्वालियर नगर में नगर निगम ग्वालियर के स्वामित्व की 25 एकड़ भूमि को जो अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (मल्लगढ़ा चौराहा, ई.पी.एफ.ओ. कार्यालय के समीप, मुरैना लिंक रोड) जिसकी चतुर्थ सीमा निम्नानुसार है के सामने बायीं ओर में एमपीआईडीसी की भूमि तथा पीछे आई.टी. डिपार्टमेंट की भूमि, दायीं ओर एपीएफओ कार्यालय की भूमि तथा जिसका भानचित्र संलग्न है. उक्त भूमि को मैं, मनोज खत्री, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के अधिकारों का उपयोग करते हुए अंतर्राज्यीय बस स्टेण्ड हेतु सार्वजनिक उपयोग के लिये अंतर्राज्यीय बस स्टेण्ड घोषित करता हूँ :-

2 अंतर्राज्यीय बस स्टेण्ड का मानचित्र संलग्न है.

AREA STATEMENT	क्षेत्र विवरण	
TOTAL LAND AREA	कुल भूमि क्षेत्र	25 ACRE
TERMINAL BUILDING AREA	टर्मिनल भवन क्षेत्र	6824.64 SQM
IDLE PARKING	निष्क्रिय पार्किंग	84 NOS
(FUTURE EXPANSIN 192 TOTAL)	(भविष्य का विस्तार 192 कुल)	24 Active Parking Area 44 Idle Parking Area
PARKING	पार्किंग	156 ECS (Equivalent Car Space)
TWO WHEELER	दोपहिया	54 NOS
FOUR WHEELER	चौपहिया	130 NOS
PLAZA AREA	प्लाजा क्षेत्र	2000 SQM
TOILET	शौचालय	4 NOS
OFFICE AREA	कार्यालय क्षेत्र	860 SQM
WAITING AREA	इंतजार क्षेत्र	1800 SQM
BUS BAY	बस बे	52 NOS
DRIVER LOUNGE	ड्राइवर लाउंज	450 SQM
TICKET COUNTER	टिकट काउंटर	For 20 Seater
ROAD WIDTH	सड़क की चौड़ाई	21 M (ROW)

(G-2022)

मनोज खत्री, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी एवं संभागीय आयुक्त.

विविध न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट परगना व जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

भिण्ड, दिनांक 12 अप्रैल 2025

फार्म चार

[नियम (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1) के अन्तर्गत]

प्र.क्र.-000-24-25-बी-113(1)-(ट्रस्ट गठन).- जैसा कि प्रभाषचन्द्र जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द्र जैन, विकास नगर, भिण्ड द्वारा (श्री दिगम्बर जैन सर्वतोभद्र जिनालय न्यास, विकास नगर, भिण्ड) पब्लिक न्यास का गठन किए जाने हेतु आवेदन-पत्र मय-सहपत्रों के जर्ने अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे द्वारा दिनांक 2 सितम्बर 2024 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में माध्यम से अभिकर्ता या स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपयुक्त अवधि समाप्त के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

2. ट्रस्ट का नाम :- श्री दिगम्बर जैन सर्वतोभद्र जिनालय न्यास, विकास नगर, भिण्ड.
(G-2023) अखिलेश शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, उज्जैन नगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 04 अप्रैल 2025

प्रारूप-चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1)देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष

क्र.-एसडीएम नगर-रीडर-1-2025-488.- चूंकि, आवेदक राधेश्याम पिता भूरेलाल शर्मा, निवासी-16/2, शिवधाम परिसर, मेट्रो टॉकिज के सामने, उज्जैन (म.प्र.). द्वारा 'सिखवाल ब्राह्मण समाज पंचायत न्यास' उज्जैन मध्यप्रदेश, कार्यालय-खेतवाडी, रामद्वारागली, गोन्दा की चौकी बुधवारिया (सती मार्ग गली क्रमांक 03) उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दिया जाता है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 13 मई 2025 को दोपहर 03:00 बजे स्थान -सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल में खण्ड-स के कक्ष क्रमांक 01 में विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः, मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उज्जैन नगर, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 13 मई 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा :-

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम:	“ सिखवाल ब्राह्मण समाज पंचायत न्यास”
कार्यालय :	खेतवाडी, रामद्वारागली, गोन्दा की चौकी बुधवारिया (सती मार्ग गली क्रमांक 03) उज्जैन
अचल संपत्ति :	वर्तमान में न्यास के पास अचल संपत्ति में श्रृंग भवन (धर्मशाला) पता-6, खेतवाडी, रामद्वारा गली, गोन्दा की चौकी, बुधवारिया (सती मार्ग, गली क्रमांक 03), उज्जैन दर्शाई गई है.
चल संपत्ति :	आवेदन में चल सम्पत्ति के रूप में बैंक ऑफ बडोदा, क्षीरसागर शाखा में खाता क्रमांक 05050100015364 में 1,38,046/- रु. एवं फिक्सड डिपॉजिट रु. 2,25,959/- दर्शाया गया है.

(G-2024)

एल. एन. गर्ग, रजिस्ट्रार.

उज्जैन, दिनांक 04 अप्रैल 2025

प्रारूप-चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष

क्र.-एसडीएम नगर-रीडर-1-2025-490.-चूंकि, आवेदक महंत श्री रवि गिरी जी पिता कल्याण गिरी जी निवासी श्री जातेश्वर महादेव जागीर, पो.डोन, तहसील माण्डायी, जिला कच्छ (गुजरात), अध्यक्ष “श्री रुद्र पंचायती दशनामी अखाडा न्यास” कार्यालय- संतोषी मंदिर, गली नं. 01, योगीपुरा हरसिद्धि मंदिर की पीछे, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 13 मई 2025 को दोपहर 03:00 बजे स्थान-सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के सामने स्थित संयुक्त तहसील भवन कोठी महल के प्रथम तल के कक्ष क्रमांक-104 में विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः, मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 13 मई 2025 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा :-

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम :	“श्री रुद्र पंचायती दशनामी अखाडा न्यास’
कार्यालय :	संतोषी मंदिर, गली नं. 01, योगीपुरा हरसिद्धि मंदिर की पीछे, उज्जैन (म.प्र.)
अचल संपत्ति :	वर्तमान में न्यास ने अपने पास अचल संपत्ति शून्य दर्शाई है.
चल संपत्ति :	वर्तमान में न्यास ने अपने पास चल संपत्ति शून्य दर्शाई है.

(G-2025)

उज्जैन, दिनांक 16 अप्रैल 2025

प्रारूप—चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1)देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष

क्र.-एसडीएम नगर-रीडर-1-2025-508.- चूंकि, आवेदक अध्यक्ष, माँ मेलडी तीर्थ ट्रस्ट उज्जैन, कार्यालय 05, राजीव गांधी नगर उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 19 मई 2025 को दोपहर 03:00 बजे स्थान-सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के सामने स्थित संयुक्त तहसील भवन कोठी महल के प्रथम तल के कक्ष क्रमांक-104 में विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः, मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 19 मई 2025 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करती हूँ.

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा :-

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम :	“माँ मेलडी तीर्थ ट्रस्ट”
कार्यालय :	05, राजीव गांधी नगर, उज्जैन (म.प्र.)
अचल संपत्ति :	वर्तमान में न्यास ने अपने पास अचल संपत्ति शून्य दर्शाई है.
चल संपत्ति :	वर्तमान में न्यास ने अपने पास चल संपत्ति शून्य दर्शाई है.

(G-2026)

लक्ष्मीनारायण गर्ग, पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील कोलार, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

प्र.क्र.-1300-28-3125-प्र.क्र.-बी-113-20-24-25.- जैसा कि "Rotary Club of Bhopal Midtown Charitable Trust" द्वारा जय कुमार सोभानी पुत्र श्री गोविन्दराम सोभानी, निवासी भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 28 अप्रैल 2025 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :-

"अनुसूची"

- 1.- ट्रस्ट का नाम व पता : "Rotary Club of Bhopal Midtown Charitable Trust" ट्रस्ट का मुख्य पता-
सी-1 बी.डी.ए. काम्पलेक्स, रविशंकर नगर, बिट्टन मार्केट, भोपाल.
- 2- चल सम्पत्ति : 5,00,000/- राशि
- 3- अचल सम्पत्ति : निरंक

आज दिनांक 28 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(G-2027)

रविशंकर राय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश
जूनी इंदौर, दिनांक 16 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र.-124-रीडर-1-25.- आवेदक अखिल श्री पार्श्वनाथ जैन तपागच्छ श्वेताम्बर मूर्तिपूजक धार्मिक ट्रस्ट, पता-456, एम.आर.-5 सेक्टर, महालक्ष्मी नगर, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :-

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण)

श्री पार्श्वनाथ जैन तपागच्छ श्वेताम्बर मूर्तिपूजक धार्मिक ट्रस्ट, पता-456, एम.आर.-5 सेक्टर, महालक्ष्मी नगर इन्दौर
अचल संपत्ति : निरंक
चल संपत्ति : 01,01,000/-

आज दिनांक 16 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-2028)

जूनी इंदौर, दिनांक 17 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र.-172-रीडर-1-25.- आवेदक धन देवी चेरिटेबल ट्रस्ट, पता-17, सीताबांग कालोनी, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :-

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण)

धन देवी चेरिटेबल ट्रस्ट पता-17, सीताबांग कालोनी, इन्दौर

अचल संपत्ति : निरंक

चल संपत्ति : निरंक

आज दिनांक 17 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-2029)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र.-177-रीडर-1-25.- आवेदक विजय नगीनचन्द कोठारी चैरिटेबल ट्रस्ट, पता-ई-12, साकेत नगर, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उका ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट ने दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :-

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण)

विजय नगीनचन्द कोठारी चैरिटेबल ट्रस्ट, पता-ई-12, साकेत नगर

अचल संपत्ति : निरंक

चल संपत्ति : निरंक

आज दिनांक 17 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-2030)

प्रदीप सोनी, पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),

मुरार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 25 अप्रैल 2025

प्रारूप - चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

प्र.क्र.-01-2025-26-बी-113(1).- आवेदक श्री भूषण मोटवानी पुत्र स्व. श्री जयराम मोटवानी, सचिव, संत कंवर राम सिंधी धर्मशाला ट्रस्ट, निवासी-रिसाला बाजार मुरार, जिला ग्वालियर, (म.प्र.). ट्रस्ट स्थान रिसाला बाजार मुरार, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयक के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है की आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26 मई 2025 को विचार के लिये दिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है.

अतः, मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, मुरार, जिला ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 25 अप्रैल 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 01 माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा :-

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम और पता : संत कंवर राम सिंधी धर्मशाला ट्रस्ट, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)
2. लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन : 60,000/- रुपये.

चल सम्पत्ति/अचल सम्पत्ति

(G-2031)

अशोक सिंह चौहान, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57 (2)/सी/ग के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू-1-क्यू- कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीनाथ साख सहकारी संस्था मर्यादित, अलीराजपुर.	73, दिनांक 18-10-2016	568/दिनांक 17-07-2023
2.	दिनदयाल अन्त्योदय बहु. दरी निर्माण एवं चादर प्रिंटिंग सह. संस्था मर्या., कस्बा जोबट.	103, दिनांक 25-04-2018	354/दिनांक 26-03-2025
3.	माँ खेड़ा औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, किला जोबट.	477, दिनांक 06-09-2019	357/दिनांक 26-03-2025
4.	श्री गायत्री महिला औद्योगिक सहकारी संस्था, मर्यादित, जोबट.	41, दिनांक 08-07-2014	358/दिनांक 26-03-2025
5.	शहीद चन्द्रशेखर आजाद जिला परिवहन सहकारी संस्था मर्यादित, जोबट.	1030, दिनांक 21-10-2008	359/दिनांक 26-03-2025

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदनुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियाँ का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अप्रैल 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-2032)

राहुल चौहान, परिसमापक एवं अंकेक्षक.

अलीराजपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57 (2)/सी/ग के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू-1- कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	नैतिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वलवई.	70/दिनांक 29-08-2016	371/दिनांक 26-03-2025
2.	शुभ पहल औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, अलीराजपुर.	479/दिनांक 11-10-2019	361/दिनांक 26-03-2025
3.	दिनदयाल अन्त्योदय बहु. गायत्री दाल एवं मसाले निर्माण सह. संस्था मर्या., छकतला.	104/दिनांक 25-04-2018	360/दिनांक 26-03-2025
4.	रावत कड़कनाथ मुर्गी पालन सह संस्था मर्या., बड़ी	74/दिनांक 03-03-2017	368/दिनांक 26-03-2025
5.	कड़कनाथ मुर्गी पालन सहकारी संस्था मर्या., कोदला	401/दिनांक 27-06-2018	367/दिनांक 26-03-2025

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57 (1) (सीध्वा) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सदस्यगण साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 04 अप्रैल 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-2033)

नेहा रायकवार, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक,

अलीराजपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57 (2)/सी/ग के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू-1.- कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दिनदयाल अन्त्योदय बहुउद्देशीय मिट्टी बर्तन निर्माण सहकारी संस्था, बोरी.	99, दिनांक 25-04-2018	347/दिनांक 26-03-2025
2.	जैविक कृषि साग सब्जी फल एवं खाद उत्पादन व विप. सह. संस्था मर्या., बोरझाड़.	56, दिनांक 02-02-2015	364/दिनांक 26-03-2025
3.	कड़कनाथ मुर्गीपालन सहकारी संस्था, मर्यादित, कोदला.	405, दिनांक 18-07-2018	369/दिनांक 26-03-2025
4.	अम्बिका महिला औद्योगिक सहकारी संस्था, मर्यादित, पलासदा.	1034, दिनांक 28-02-2009	356/दिनांक 26-03-2025
5.	क्षेत्रीयवीर दुर्गादास साख सहकारी संस्था, मर्यादित, जोबट.	1040, दिनांक 01-08-2009	374/दिनांक 17-07-2023

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 अप्रैल 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-2034)

सोनू भूरिया, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

अलीराजपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57 (2)/सी/ग के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू-1.- कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दिनदयाल अन्त्योदय बहुउद्देशीय प्रजापति मटका निर्माण सह. संस्था मर्या., बरझर.	98, दिनांक 25-04-2018	349/दिनांक 26-03-2025
2.	दिनदयाल अन्त्योदय बहुउद्देशीय लक्ष्मी पोशाक निर्माण सह. संस्था मर्या., बरझर.	100, दिनांक 25-04-2018	351/दिनांक 26-03-2025

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियाँ का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 22 अप्रैल 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-2035)

संजय सोलंकी, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

अलीराजपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57 (2)/सी/ग के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2025-क्यू-1.- कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दिनदयाल अन्त्योदय बहुउद्देशीय नहाने का साबुन सहकारी संस्था मर्या., लक्ष्मणी.	102, दिनांक 25-04-2018	353/दिनांक 26-03-2025
2.	महिला खादी ग्राम औद्योगिक मार्केटिंग प्रशिक्षण सहकारी संस्था मर्या., अलीराजपुर.	474, दिनांक 20-02-2019	363/दिनांक 26-03-2025
3.	सिद्धेश्वर कृषि सेवा केंद्र सहकारी संस्था मर्यादित, जोबट.	51, दिनांक 08-07-2014	370/दिनांक 26-03-2025
4.	ग्राम स्वाराज दुग्ध डेयरी व कृषि उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित, कुण्डवाट.	57, दिनांक 16-02-2015	362/दिनांक 26-03-2025

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियाँ का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना पत्र आज दिनांक 22 अप्रैल 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-2036)

कैलास सिसौदिया, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश

उमरिया, दिनांक 28 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

क्र.-पंजीयन-2025-198.- बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, ददरौडी प.क्र 66, दिनांक 09 दिसम्बर 1994 है, (जिसे आगे प्रभावित समिति कहा गया है) को पुनर्गठित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., मेहराटोला जिसे आगे परिणामी समिति कहा गया है) बनाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक सीओपी-006-2023-15-1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदंड अनुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश भोपाल के दिशा निर्देश में कार्यवाही की गई. कलेक्टर जिला उमरिया के आदेश क्रमांक-सामान्य 2023-642, उमरिया दिनांक 18 जुलाई 2023 से गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन पर चर्चा की गई.

उपरोक्तानुसार संयुक्त कार्य समिति (JWC) कमेटी के द्वारा दिनांक 10 मार्च 2025 को आयोजित बैठक में चिन्हांकन की प्रत्याशा में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., सेहराटोला की विधिवत विशेष साधारण सम्मिलन की कार्यवाही की गई.

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., सेहराटोला द्वारा आहूत विशेष साधारण सम्मिलन दिनांक 22 मार्च 2025 में संस्था को विभाजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया. विशेष साधारण सम्मिलन में पारित प्रस्ताव अनुसार प्रभावित समिति एवं परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार ग्राम सम्मिलित करने हेतु सर्वसम्मिति से प्रस्ताव पारित किया गया.

प्रभावित समिति (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र (3)
प्रभावित समिति - बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., ददरौडी.	ददरौडी	बरबसपुर, कोल्हा, घघडार, मुडगुडी, पिपराटोला, पठारी, बदरेहल, कोडार, बरदौहा, खरहाडांड, छाइन, कोतलवाह, ददरौडी, बरतराई, कछियाटोला उर्फ उमरियाखुर्द, मझगवां, सरसवाही, कमता, झमझ्या, बडवार, चिरवाह, पिपरहा, भरहुत, बडवाही, मुडेहना, कोटा, पिपरिया, चिलाइकाप, कुआ, सेमरिया, अमहा, रथेली, बांधा, पुटपुरा.
परिणामी समिति - बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, सेहराटोला.	सेहराडोला	सेहराटोला, धुन्सू, अमलई, चेचरिया, कछराटोला, बसकुटा, कुम्हरा, विजौरा, रायपुर, कुदरीटोला, रोहनिया, गोरझ्या, खुसरवाह, छटनटोला, सकरिया, गिडरी, बडवाही, बगदरी.

चूंकि, संस्था के पुनर्गठन से संस्था एवं सदस्यों के हित प्रभावित होते हैं, इसलिए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के तहत प्रभावित सोसायटी को अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिए कार्यालयीन पत्र सूचना पत्र क्रमांक-पंजी-2025-24(3), दिनांक 20 जनवरी 2025 एवं धारा 16 (5) के अन्तर्गत परिणामी संस्था के सदस्यों को सूचना अभिमत/आपत्ति जाहिर करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-पंजी-2025-24(4) दिनांक: 20 जनवरी 2025 जारी किया गया. सूचना पत्र जारी होने तथा प्रभावित समिति एवं तदनुसार सदस्यों को विधिवत् तामीली हो जाने के पश्चात भी निर्धारित समयावधि में सदस्यों की ओर से कोई असहमति प्राप्त नहीं हुई. विशेष साधारण सम्मिलन दिनांक 22 मार्च 2025 में सर्व सम्मति से पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित किया गया. एकीकृत सहकारी प्रबंध सूचना प्रणाली (ICMIS) पोर्टल पर पैक्स पुनर्गठन की कोई

सुविधा नहीं होने से आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्था, मध्यप्रदेश, भोपाल के प्राप्त निर्देश के परिपालन में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के अन्तर्गत बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, ददरौडी के पुनर्गठन पश्चात् बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, मर्यादित, सेहराटोला का पंजीयन परिणामी सोसायटी के रूप में किये जाने के योग्य पाया गया है तथा इसी आधार पर संस्था का पंजीयन आदेश पारित किया गया. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) निहित वैधानित प्रावधानों के पालन में नवीन पंजीकृत बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, सेहराटोला का गठन एवं प्रभावित बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, ददरौडी का पुनर्गठन किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है.

उक्तानुसार आयुक्त, सकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश, भोपाल से प्राप्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रदत्त निर्देश, कलेक्टर महोदय, जिला उमरिया की अध्यक्षता में DCDC की बैठक एवं JWC की बैठक में प्राप्त अनुमोदन उपरांत बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, सेहराटोला का पंजीयन किया जाना यथेष्ट पाया गया.

अतः, मैं, अभय सिंह, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक F-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के अन्तर्गत यह आदेश देता हूँ कि प्रभावित समिति बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, ददरौडी एवं परिणामी संस्था बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सेहराटोला निम्नानुसार अपने अस्तित्वों एवं दायित्वों का विभाजन करें-

समिति का नाम कार्यक्षेत्र	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रभावित समिति- बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., ददरौडी.	66 09.12.1994	ददरौडी	बरबसपुर, कोल्हा, घघहार, मुडगुडी, पिपराटोला, पटारी, बदरेहल,कोडार, बरदौहा, खरहाडाड,छाइन, कोतलवाह,ददरौड, बरतराई, कछियाटला उर्फ उमरियाखुर्द,मझगवां, सरसवाही, कमता, झमइया, बडवार, चिरवाह, पिपरहा, भरहुत, बडवाही, मुडेहना, कोटा, पिपरिया, विलाइकाप, कुआ, सेमरिया, अमहा, रथेली, बांधा, पुटपुरा
परिणामी समिति- बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, सेहराटोला.	168 28.03.2025	सेहराटोला	सेहराटोला, धुन्सू, अमलई चेचरिया, कछराटोला, बसकुटा, कुम्हरा, विजौरा, रायपुर, कुदरीटोला, रोहनिया, गोरइया, खुसरवाह, छटनटोला, सकरिया, गिडरी, बडवाही, बगदरी

1. पुनर्गठन आधार पर अलग होने पर शासन से प्रदत्त अंशपूजी का अंशों के अनुपात में एवं सदस्यों की अंशपूजी के संबंध में निर्देश यह है, कि उसे कार्यक्षेत्र के मान से विभाजित की जाये.
2. पूर्ववर्ती संस्था के पास रक्षित फोष तथा निधियों का बंटवारा हस्तांतरित अंशों के अनुपात के मान से विभाजित किया जावे.
3. पूर्ववर्ती संस्था मुख्यालय पर स्थायी अचल संपत्ति गोदाम भवन एवं भूमि हो तो उसे अंशों के अनुपात में विभाजन करें.
4. संस्था में संचित लाभ व हानि का बंटवारा अंशों के अनुपात में किया जाये.
5. शासकीय तथा बैंक के ऋण का विभाजन भी वास्तविक देयता अथवा अंशों के अनुपात में किया जावे.
6. पूर्ववर्ती संस्था के पास उपलब्ध डेड स्टॉक को अंशों के अनुपात में विभाजन करें.
7. कर्मचारियों का विभाजन नियमानुसार प्रभावित संस्था के संचालक मंडल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ही होगा.
8. प्रभावित संस्था परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के सभी ग्रामों को अपने कार्यक्षेत्र से पृथक करने संबंधी अपनी पंजीकृत व्याविधि में नियमानुसार संशोधन भी करें.

(G-2037)

उमरिया, दिनांक 28 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

क्र.-पंजीयन-2025-190.-बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, इंदवार, प.क्र 74, दिनांक 9 दिसम्बर 1994 है, (जिसे आगे प्रभावित समिति कहा गया है) को पुनर्गठित कर नवीन बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., झाल (जिसे आगे परिणामी समिति कहा गया है) बनाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक सीओपी-006-2023-15-1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदंड अनुसार आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के दिशा-निर्देश में कार्यवाही की गई. कलेक्टर, जिला उमरिया के आदेश क्रमांक-सामान्य-2023-642 उमरिया, दिनांक 18 जुलाई 2023 से गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन पर चर्चा की गई.

उपरोक्तानुसार संयुक्त कार्य समिति (JWC) कमेटी के द्वारा दिनांक 10 मार्च 2025 को आयोजित बैठक में चिन्हांकन की प्रत्याशा में बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., झाल को विधिवत् विशेष साधारण सम्मिलन की कार्यवाही की गई.

बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या झालद्वारा आहूत विशेष साधारण सम्मिलन दिनांक 22 मार्च 2025 में संस्था को विभाजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया. विशेष साधारण सम्मिलन में पारित प्रस्ताव अनुसार प्रभावित समिति एवं परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार ग्राम सम्मिलित करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया :-

प्रभावित समिति (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र (3)
प्रभावित समिति- बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., इंदवार.	इंदवार	इंदवार, पडखुरी, इटमा, जोबी, छाप नं-1, छान नं-2 बरालुमहा (वीरान) ग्राम तक.
परिणामी समिति - बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, झाल,	झाल	झाल, झलवार, भोलगढ, चितराव, हरदी, मझटोला

चूंकि, संस्था के पुनर्गठन से संस्था एवं सदस्यों के हित प्रभावित होते हैं, इसलिए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के तहत प्रभावित सोसायटी को अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिए कार्यालयीन पत्र सूचना-पत्र क्रमांक-पंजी-2025-24 (1) दिनांक 20 जनवरी 2025 एवं धारा 16 (5) के अन्तर्गत परिणामी संस्था के सदस्यों को सूचना अभिमत/आपत्ति जाहिर करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-पंजी-2025-24(2), दिनांक 20 जनवरी 2025 जारी किया गया. सूचना-पत्र जारी होने तथा प्रभावित समिति एवं तदानुसार सदस्यों को विधिवत् तामीली हो जाने के पश्चात भी निर्धारित समयवधि में सदस्यों की ओर से कोई असहमति प्राप्त नहीं हुई. विशेष साधारण सम्मिलन दिनांक 22 मार्च 2025 में सर्वसम्मति से पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित किया गया. एकीकृत सहकारी प्रबंध सूचना प्रणाली (ICMIS) पोर्टल पर पैक्स पुनर्गठन की कोई सुविधा नहीं होने से आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल के प्राप्त निर्देश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के अन्तर्गत बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित इंदवार के पुनर्गठन पश्चात् बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित झाल का पंजीयन परिणामी

सोसायटी के रूप में किये जाने के योग्य पाया गया है तथा इसी आधार पर संस्था का पंजीयन आदेश पारित किया गया। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 16 (3) निहित वैधानित प्रावधानों के पालन में, नवीन पंजीकृत बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित झाल का गठन एवं प्रभावित बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, इंदवार का पुनर्गठन किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

उक्तानुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रदत्त निर्देश, कलेक्टर महोदय, जिला उमरिया की अध्यक्षता में DCDC की बैठक एवं JWC की बैठक में प्राप्त अनुमोदन उपरांत बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, झाल का पंजीयन किया जाना यथेष्ट पाया गया।

अतः, मैं, अभय सिंह सहायक-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला उमरिया मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक F-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के अन्तर्गत यह आदेश देता हूँ कि प्रभावित समिति बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, इंदवार एवं परिणामी संस्था बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, झाल निम्नानुसार अपने अस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन करे :-

समिति का नाम	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रभावित समिति- बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, इंदवार	74 09-12-1994	इंदवार	इंदवार, पडखुरी, इटमा, जोबी, छाप नं-1, छान नं-2, बरालुमहा (वीरान) ग्राम तक.
परिणामी समिति- बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, झाल.	167 28-03-2025	झाल	झाल, झलवार, भोलगढ, चितराव, हरदी, मझटोला.

1. पुनर्गठन आधार पर अलग होने पर शासन से प्रदत्त अंशपूजी का अंशों के अनुपात में एवं सदस्यों की अंशपूजी के संबंध में निर्देश यह है, कि उसे कार्यक्षेत्र के मान से विभाजित की जावे.
2. पूर्ववर्ती संस्था के पास रक्षित कोष तथा निधियों का बंटवारा हस्तांतरित अंशों के अनुपात के मान से विभाजित किया जावे.
3. पूर्ववर्ती संस्था मुख्यालय पर स्थायी अचल संपत्ति गोदाम भवन एवं भूमि हो तो उसे अंशों के अनुपात में विभाजन करें.
4. संस्था में संचित लाभ व हानि का बंटवारा अंशों के अनुपात में किया जावे.
5. शासकीय तथा बैंक के ऋण का विभाजन भी वास्तविक देयता अथवा अंशों के अनुपात में किया जावे.
6. पूर्ववर्ती संस्था के पास उपलब्ध डेड स्टॉक को अंशों के अनुपात में विभाजन करें.
7. कर्मचारियों का विभाजन नियमानुसार प्रभावित संस्था के संचालक मंडल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ही होगा.
8. प्रभावित संस्था परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के सभी ग्रामों को अपने कार्यक्षेत्र से पृथक करने संबंधी अपनी पंजीकृत उपविधि में नियमानुसार संशोधन भी करें.

उमरिया, दिनांक 28 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

क्र.-पंजीयन-2025-191.-बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, कोठिया, पं.क्रं 544, दिनांक 20 नवम्बर 1965 है, (जिसे आगे प्रभावित समिति कहा गया है) को पुनर्गठित कर नवीन बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., उमरिया (बकेली) जिसे आगे परिणामी समिति कहा गया है बनाने हेतु मध्यप्रदेश, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक सीओपी-006-2023-15-1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदंड अनुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के दिशा निर्देश में कार्यवाही की गई. कलेक्टर, जिला उमरिया के आदेश क्रमांक--सामान्य-2023-642, उमरिया, दिनांक 18 जुलाई 2023 से गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन पर चर्चा की गई.

उपरोक्तानुसार संयुक्त कार्य समिति (JWC) कमेटी के द्वारा दिनांक 10 मार्च 2025 को आयोजित बैठक में चिन्हांकन की प्रत्याशा में बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., उमरिया (बकेली) की विधिवत् विशेष साधारण सम्मिलन की कार्यवाही की गई.

बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या उमरिया (बकेली) द्वारा आहूत विशेष साधारण सम्मिलन दिनांक 22 मार्च 2025 में संस्था को विभाजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया. विशेष साधारण सम्मिलन में पारित प्रस्ताव अनुसार प्रभावित समिति एवं परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार ग्राम सम्मिलित करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया :-

प्रभावित समिति (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र (3)
प्रभावित समिति- बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या कोठिया.	कोठिया	पनपथा, मझौली, कोठिया, कुशमहां, सेजवाही, गांगीताल, कुदरी, चंसुरा, चंदवार, पलझा.
परिणामी समिति - बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित उमरिया (बकेली).	उमरिया बकेली	उमरिया, बकेली, करौंदिया, गंजरहा, हरदुआ, कसेरु

चूंकि, संस्था के पुनर्गठन से संस्था एवं सदस्यों के हित प्रभावित होते हैं, इसलिए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के तहत प्रभावित सोसायटी को अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिए कार्यालयीन पत्र सूचना-पत्र क्रमांक-पंजी-2025-24 (5), दिनांक 20 जनवरी 2025 एवं धारा 16 (5) के अन्तर्गत परिणामी संस्था के सदस्यों को सूचना अभिमत/आपत्ति जाहिर करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-पंजी-2025-24(6), दिनांक 20 जनवरी 2025 जारी किया गया. सूचना-पत्र जारी होने तथा प्रभावित समिति एवं तदनुसार सदस्यों को विधिवत् तामीली हो जाने के पश्चात भी निर्धारित समयावधि में सदस्यों की ओर से कोई असहमति प्राप्त नहीं हुई. विशेष साधारण सम्मिलन दिनांक 22 मार्च 2025 में सर्वसम्मति से पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित किया गया. एकीकृत सहकारी प्रबंध सूचना प्रणाली (ICMIS) पोर्टल पर पैक्स पुनर्गठन की कोई सुविधा नहीं होने से आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के प्राप्त निर्देश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के अन्तर्गत बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित कोठिया के पुनर्गठन पश्चात् बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, उमरिया (बकेली) का पंजीयन

परिणामी सोसायटी के रूप में किये जाने के योग्य पाया गया है तथा इसी आधार पर संस्था का पंजीयन आदेश पारित किया गया। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) निहित वैधानित प्रावधानों के पालन में नवीन पंजीकृत बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित उमरिया (बकेली) का गठन एवं प्रभावित बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, कोटिया का पुनर्गठन किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

उक्तानुसार आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल से प्राप्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रदत्त निर्देश, कलेक्टर महोदय, जिला उमरिया की अध्यक्षता में DCDC की बैठक एवं JWC की बैठक में प्राप्त अनुमोदन उपरांत बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित उमरिया (बकेली) पंजीयन किया जाना यथेष्ट पाया गया।

अतः, मैं, अभय सिंह, सहायक-पंजीयक, सहकारी संस्था, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक F-5-1-99-पन्द्रह -1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 (3) के अन्तर्गत यह आदेश देता हूँ कि प्रभावित समिति बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कोटिया एवं परिणामी संस्था बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित उमरिया (बकेली) निम्नानुसार अपने अस्तित्वों एवं दायित्वों का विभाजन करे :-

प्रभावित समिति (1)	पंजीयन क्र. एवं दिनांक (2)	मुख्यालय (3)	कार्यक्षेत्र (4)
प्रभावित समिति -- बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., कोटिया	544 20.11.1965	कोटिया	पनपथा, मझौली, कोटिया, कुशमहां, सेजवाही, गांगीताल, कुदरी, चंसुरा, चंदवार, पलझा.
परिणामी समिति -- बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या., उमरिया (बकेली).	169 28.3.2025	उमरिया बकेली	उमरिया, बकेली, करौंदिया, गंजरहा, हरदुआ, कसेरू.

1. पुनर्गठन आधार पर अलग होने पर शासन से प्रदत्त अंशपूंजी का अंशों के अनुपात में एवं सदस्यों की अंशपूंजी के संबंध में निर्देश यह है, कि उसे कार्यक्षेत्र के मान से विभाजित की जावे।
2. पूर्ववर्ती संस्था के पास रक्षित कोष तथा निधियों का बंटवारा हस्तांतरित अंशों के अनुपात के मान से विभाजित किया जावे।
3. पूर्ववर्ती संस्था मुख्यालय पर स्थायी अचल संपत्ति गोदाम भवन एवं भूमि हो तो उसे अंशों के अनुपात में विभाजन करें।
4. संस्था में संचित लाभ व हानि का बंटवारा अंशों के अनुपात में किया जावे।
5. शासकीय तथा बैंक के ऋण का विभाजन भी वास्तविक देयता अथवा अंशों के अनुपात में किया जावे।
6. पूर्ववर्ती संस्था के पास उपलब्ध डेड स्टॉक को अंशों के अनुपात में विभाजन करें।
7. कर्मचारियों का विभाजन नियमानुसार प्रभावित संस्था के संचालक मंडल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ही होगा।
8. प्रभावित संस्था परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के सभी ग्रामों को अपने कार्यक्षेत्र से पृथक् करने संबंधी अपनी पंजीकृत उपविधि में नियमानुसार संशोधन भी करें।

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 25 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अंतर्गत]

क्र. पंजीयन-2025-300.- बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित खोखराकलॉ जिसका पंजीयन क्रमांक 2509, दिनांक 21 नवम्बर 1966 है (जिसे आगे प्रभावित समिति कहा गया है) को पुनर्गठित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मो. मछनाई (जिसे आगे परिणामी समिति कहा गया है) बनाने हेतु मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक सीओपी-0066-2023-15-1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार JWC की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 से गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 9 मई 2023 द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खोखराकलॉ को पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मो. मछनाई का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया. उपरोक्तानुसार JWC की बैठक के द्वारा चिन्हांकन उपरान्त बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खोखराकलॉ के पुनर्गठन के पश्चात् नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मो. मछनाई के गठन हेतु प्रशासक/प्रबन्धक, बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खोखराकलॉ को विधिवत् आमसभा आहूत कर आगामी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया.

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खोखराकलॉ द्वारा आहूत आमसभा दिनांक 5 मार्च 2025 में संस्था को विभाजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया. आमसभा में पारित प्रस्ताव अनुसार प्रभावित समिति एवं परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार ग्राम सम्मिलित करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया:—

प्रभावित समिति का नाम (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र (3)
प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खोखराकलॉ.	खोखराकलॉ	मो. मछनाई, गणेशपुरा, बापचा (वर्तमान में अस्तित्व में नहीं) एवं खोखकलॉ, झुण्डी, हनुमतखेडा, घाटखेडी, छापरी अस्तित्व में है.
परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मो. मछनाई	मो. मछनाई	मो. मछनाई, गणेशपुरा, बापचा अस्तित्व में

संस्था का पुनर्गठन संस्था व सदस्यों के हितों पर असर करता है, इसलिये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के अन्तर्गत प्रभावित समिति को अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिये कार्यालयीन पत्र सूचना-पत्र क्र.-पंजीयन-2024-1221 शाजापुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2024 एवं धारा 16 (5) के अन्तर्गत परिणामी संस्था के सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1213 दिनांक 18 दिसम्बर 2024 जारी किया गया था सूचना-पत्र जारी होकर प्रभावित समिति एवं सदस्यों को विधिवत् तामील हो जाने के पश्चात् भी निर्धारित समयवाधि में सदस्यों की ओर से कोई असहमति प्राप्त नहीं हुई है. एकीकृत सहकारी प्रबंध सूचना प्रणाली (icmis) पोर्टल पर पैक्स पुनर्गठन की कोई सुविधा नहीं होने से आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल कार्यालयीन के पत्र क्रमांक-आईटी-2025-90 भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2025 मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अन्तर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित खोखराकलॉ के पुनर्गठन पश्चात् बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित मो. मछनाई का पंजीयन किये जाने योग्य पाया गया है.

एतद्वारा मैं, ओमप्रकाश गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सोसाईटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ एवं नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित मो. मछनाई का पंजीयन करता हूँ, तथा धारा 48 (1) के तहत निम्नानुसार प्रथम संचालक मण्डल को आदेश दिनांक से तीन माह की अवधि हेतु नामांकित करता हूँ.

क्र. (1)	नाम (2)	निवासी (3)	पद (4)
1	श्री केलाशचन्द्र / कमोदसिंह	मो. मछनाई	अध्यक्ष
2	श्री सतीश / घासीराम पाटीदार	गणेशपुरा	उपाध्यक्ष
3	श्री रामबाबू / गणपत मीना	बापचा	उपाध्यक्ष
4	श्री भगवानसिंह / हेमराज मुकाती	मो. मछनाई	संचालक
5	श्री रामेश्वर / घासीराम कलमोदिया	मो. मछनाई	संचालक
6	श्री बाबूलाल / नारायणसिंह करमोदिया	मो. मछनाई	संचालक
7	श्री हरिप्रसाद / लक्ष्मीनारायण जाट	मो. मछनाई	संचालक
8	श्री संतोष / नाथुराम पुष्पद	बापचा	संचालक
9	श्रीमती फूलवतीबाई / दुर्गाप्रसाद	गणेशपुरा	संचालक
10	श्रीमती सुशीलाबाई / शिवनारायण मण्डलोई	मो. मछनाई	संचालक
11	श्री ओमप्रकाश / छोगमल पाटीदार	बापचा	संचालक

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मो. मछनाई का कार्यालयीन अभिलेख में पंजीयन क्रमांक -डी.आर.-शाजापुर-1385, दिनांक 25 मार्च 2025 पर पंजीकृत करता हूँ तथा यह भी आदेशित करता हूँ, कि प्रभावित संस्था परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के सभी ग्रामों को अपने कार्यक्षेत्र से पृथक करने संबंधी अपनी पंजीकृत उपविधि में नियमानुसार संशोधन भी करें. संस्था को "संसाधन वर्ग" अन्तर्गत पंजीकृत की गई है.

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2040)

शाजापुर, दिनांक 25 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

क्र. पंजीयन-2025-301.- बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित खोखराकलॉ जिसका पंजीयन क्रमांक 2569 दिनांक 21 नवम्बर 1966 है (जिसे आगे प्रभावित समिति कहा गया है) को पुनर्गठित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित मो. मछनाई (जिसे आगे परिणामी समिति कहा गया है) बनाने हेतु मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सीओपी-0066-2023-15-1 दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार JWC की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित खोखराकलॉ को पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित मो. मछनाई का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया.

उपरोक्तानुसार JWC की बैठक द्वारा चिन्हांकन उपरान्त बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित खोखराकलॉ के पुनर्गठन के पश्चात् नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित मो. मछनाई के गठन हेतु प्रशासक/प्रबन्धक, बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित खोखराकलॉ को विधिवत् आमसभा आहूत कर आगामी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया.

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित खोखराकलॉ द्वारा आहूत आमसभा दिनांक 5 मार्च 2025 में संस्था को विभाजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया. आमसभा में पारित प्रस्ताव अनुसार प्रभावित समिति एवं परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार ग्राम सम्मिलित करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया:-

प्रभावित समिति का नाम (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र (3)
प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खोखराकलॉ	खोखराकलॉ	मो. मछनाई, गणेशपुरा, बापचा (वर्तमान में अस्तित्व में नहीं) एवं खोखकलॉ, झुण्डी, हनुमतखेडा, घाटखेडी, छापरी अस्तित्व में हैं.
परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मो. मछनाई.	मो. मछनाई	मो. मछनाई, गणेशपुरा, बापचा अस्तित्व में.

संस्था का पुनर्गठन संस्था व सदस्यों के हितों पर असर करता है, इसलिये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 (3) के अन्तर्गत प्रभावित समिति को अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिये कार्यालयीन पत्र सूचना-पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1221 शाजापुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2024 एवं धारा 16 (5) के अन्तर्गत परिणामी संस्था के सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1213, दिनांक 18 दिसम्बर 2024 जारी किया गया था सूचना-पत्र जारी होकर प्रभावित समिति एवं सदस्यों को विधिवत् तामील हो जाने के पश्चात् भी निर्धारित समयावधि में सदस्यों की ओर से कोई असहमति प्राप्त नहीं हुई है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अन्तर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित खोखराकलॉ के पुनर्गठन पश्चात् बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित मो. मछनाई का पंजीयन किये जाने योग्य पाया गया है.

अतः मैं, ओ.पी. गुप्ता उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के अंतर्गत यह आदेश देता हूँ कि प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित खोखराकलॉ एवं परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित मो. मछनाई निम्नानुसार अपने आस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन करे:-

प्रभावित समिति का नाम (1)	पंजीयन क्र./दिनांक (2)	मुख्यालय (3)	कार्यक्षेत्र (4)
प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित खोखराकलॉ.	2569/21-11-1966	खोखराकलॉ	मो. मछनाई, गणेशपुरा बापचा (वर्तमान में अस्तित्व में नहीं) एवं खोखराकलॉ, झुण्डी, हनुमतखेडा, घाटखेडी, छापरी अस्तित्व में हैं.
प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित मो. मछनाई	डीआर/एसजेआर/1385 दिनांक 25-3-2025	मो. मछनाई	मो. मछनाई, गणेशपुरा बापचा अस्तित्व में.

1. पुनर्गठन आधार पर अलग होने पर शासन से प्रदत्त अंशपूँजी का अंशों के अनुपात में एवं सदस्यों की अंशपूँजी के संबंध में निर्देश यह है कि उसे कार्यक्षेत्र के मान से विभाजित की जावे.
2. पूर्ववर्ती संस्था के पास रक्षित कोष तथा निधियों का बंटवारा हस्तांतरित अंशों के अनुपात के मान से विभाजित किया जाये.
3. पूर्ववर्ती संस्था मुख्यालय पर स्थाई अचल सम्पत्ति गोदाम भवन एवं भूमि हो तो उसे अंशों के अनुपात में विभाजन करे.
4. संस्था में संचित लाभ व हानि का बंटवारा अंशों के अनुपात में किया जावे.
5. शासकीय तथा बैंक के ऋण का विभाजन भी वास्तविक देयता अथवा अंशों के अनुपात में किया जावे.
6. पूर्ववर्ती संस्था के पास उपलब्ध डेड स्टॉक को अंशों के अनुपात में विभाजन करें.
7. कर्मचारियों का विभाजन नियमानुसार प्रभावित संस्था के संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ही होगा.
8. प्रभावित संस्था परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के सभी ग्रामों को अपने कार्यक्षेत्र से पृथक करने संबंधी अपनी पंजीकृत उपविधि में नियमानुसार संशोधन भी करें.

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2041)

शाजापुर, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

क्र. पंजीयन-2025-304.- बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित देवली (पोलायकलॉ) जिसका पंजीयन क्रमांक-1484 दिनांक 29 नवम्बर 1966 है (जिसे आगे प्रभावित समिति कहा गया है) को पुनर्गठित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पोलायकलॉ (जिसे आगे परिणामी समिति कहा गया है) बनाने हेतु मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सीओपी-0066-2023-15-1 दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680 भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार JWC की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवली (पोलायकलॉ) को पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पोलायकलॉ का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया।

उपरोक्तानुसार JWC की बैठक द्वारा चिन्हांकन उपरान्त बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवली (पोलायकलॉ) के पुनर्गठन के पश्चात् नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पोलायकलॉ के गठन हेतु प्रशासक/प्रबन्धक, बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित देवली (पोलायकलॉ) को विधिवत् आमसभा आहूत कर आगामी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित देवली (पोलायकलॉ) द्वारा आहूत आमसभा दिनांक 11 फरवरी 2025 में संस्था को विभाजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। आमसभा में पारित प्रस्ताव अनुसार प्रभावित समिति एवं परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार ग्राम सम्मिलित करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया:-

प्रभावित समिति का नाम (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र (3)
प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवली (पोलायकलॉ).	देवली (पोलायकलॉ)	पोलायकलॉ, ईमलीखेडा, विनाया (वर्तमान में अस्तित्व में नहीं) एवं देवली, मुबारकपुरा, हण्डाखेडी, बंजारी, नीमखेडी.
परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवली पोलायकलॉ.	पोलायकलॉ	पोलायकलॉ, ईमलीखेडा, एवं विनाया.

संस्था का पुनर्गठन संस्था व सदस्यों के हितों पर असर करता है, इसलिये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के अन्तर्गत प्रभावित समिति को अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिये कार्यालयीन पत्र सूचना-पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1220 शाजापुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2024 एवं धारा 16 (5) के अन्तर्गत परिणामी संस्था के सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1217, दिनांक 16 दिसम्बर 2024 जारी किया गया था सूचना-पत्र जारी होकर प्रभावित समिति एवं सदस्यों को विधिवत् तामील हो जाने के पश्चात् भी निर्धारित समयावधि में सदस्यों की ओर से कोई असहमति प्राप्त नहीं हुई है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अन्तर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित देवली (पोलायकलॉ) के पुनर्गठन पश्चात् बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पोलायकलॉ का पंजीयन किये जाने योग्य पाया गया है।

अतः मैं, ओ.पी. गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के अंतर्गत यह आदेश देता है कि प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित देवली (पोलायकलॉ) एवं परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पोलायकलॉ निम्नानुसार अपने आस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन करें।

प्रभावित समिति का नाम (1)	पंजीयन क्र./दिनांक (2)	मुख्यालय (3)	कार्यक्षेत्र (4)
प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित देवली (पोलायकलॉ).	1484 / 29-11-1966	देवली (पोलायकलॉ)	पोलायकलॉ, ईमलीखेडा, विनाया (वर्तमान में अस्तित्व में नहीं) एवं एवं देवली, मुबारकपुरा, हण्डाखेडी, बंजारी, नीमखेडी
परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पोलायकलॉ.	1387 / 27-3-2025	पोलायकलॉ	पोलायकलॉ, ईमलीखेडा, एवं विनाया.

1. पुनर्गठन आधार पर अलग होने पर शासन से प्रदत्त अंशपूँजी का अंशों के अनुपात में एवं सदस्यों की अंशपूँजी के संबंध में निर्देश यह है कि उसे कार्यक्षेत्र के मान से विभाजित की जावे.
2. पूर्ववर्ती संस्था के पास रक्षित कोष तथा निधियों का बंटवारा हस्तांतरित अंशों के अनुपात के मान से विभाजित किया जाये.
3. पूर्ववर्ती संस्था मुख्यालय पर स्थाई अचल सम्पत्ति गोदाम भवन एवं भूमि हो तो उसे अंशों के अनुपात में विभाजन करे.
4. संस्था में संचित लाभ व हानि का बंटवारा अंशों के अनुपात में किया जावे.
5. शासकीय तथा बैंक के ऋण का विभाजन भी वास्तविक देयता अथवा अंशों के अनुपात में किया जावे।
6. पूर्ववर्ती संस्था के पास उपलब्ध डेड स्टॉक को अंशों के अनुपात में विभाजन करें.
7. कर्मचारियों का विभाजन नियमानुसार प्रभावित संस्था के संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ही होगा.
8. प्रभावित संस्था परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के सभी ग्रामों को अपने कार्यक्षेत्र से पृथक करने संबंधी अपनी पंजीकृत उपविधि में नियमानुसार संशोधन भी करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2042)

शाजापुर, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अंतर्गत]

क्र. पंजीयन-2025-305.- बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित देवली (पोलायकलॉ) जिसका पंजीयन क्रमांक 1484, दिनांक 29 नवम्बर 1966 है (जिसे आगे प्रभावित समिति कहा गया है) को पुनर्गठित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पोलायकलॉ (जिसे आगे परिणामी समिति कहा गया है) बनाने हेतु मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सीओपी-0066-2023-15-1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र-क्रमांक-साख-विधि-2023-680 भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार JWC की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 से गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 9 मई 2023 द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवली (पोलायकलॉ) को पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवली पोलायकलॉ का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया. उपरोक्तानुसार JWC की बैठक के द्वारा चिन्हांकन उपरान्त बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित देवली (पोलायकलॉ) के पुनर्गठन के पश्चात् नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पोलायकलॉ के गठन हेतु प्रशासक/प्रबन्धक, बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवली (पोलायकलॉ) को विधिवत् आमसभा आहूत कर आगामी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया.

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित देवली (पोलायकलों) द्वारा आहूत आमसभा दिनांक 11 फरवरी 2025 में संस्था को विभाजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया. आमसभा में पारित प्रस्ताव अनुसार प्रभावित समिति एवं परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार ग्राम सम्मिलित करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया:-

प्रभावित समिति का नाम (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र (3)
प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवली (पोलायकलों).	देवली (पोलायकलों)	पोलायकलों, ईमलीखेडा, विनाया (वर्तमान में अस्तित्व में नहीं) एवं देवली, मुबारकपुरा, हण्डाखेडी, बंजारी, नीमखेडी.
परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवली (पोलायकलों).	पोलायकलों	पोलायकलों, ईमलीखेडा, एवं विनाया.

संस्था का पुनर्गठन संस्था व सदस्यों के हितों पर असर करता है, इसलिये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के अन्तर्गत प्रभावित समिति को अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिये कार्यालयीन पत्र सूचना-पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1220 शाजापुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2024 एवं धारा 16 (5) के अन्तर्गत परिणामी संस्था के सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1217 दिनांक 18 दिसम्बर 2024 जारी किया गया था सूचना-पत्र जारी होकर प्रभावित समिति एवं सदस्यों को विधिवत् तामील हो जाने के पश्चात् भी निर्धारित समयावधि में सदस्यों की ओर से कोई असहमति प्राप्त नहीं हुई है. एकीकृत सहकारी प्रबंध सूचना प्रणाली (icmi) पोर्टल पर पैक्स पुनर्गठन की कोई सुविधा नहीं होने से आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल कार्यालयीन के पत्र क्रमांक-आईटी-2025-90 भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2025 मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अन्तर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवली (पोलायकलों) के पुनर्गठन पश्चात् बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पोलायकलों का पंजीयन किये जाने योग्य पाया गया है.

एतद्वारा मैं, ओमप्रकाश गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ एवं नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पोलायकलों का पंजीयन करता हूँ, तथा धारा 48 (1) के तहत निम्नानुसार प्रथम संचालक मण्डल को आदेश दिनांक से तीन माह की अवधि हेतु नामांकित करता हूँ:-

क्र. (1)	नाम (2)	निवासी (3)	पद (4)
1	श्री कैलाशनारायण/बाबूलाल मण्डलोई	पोलायकलों	अध्यक्ष
2	श्री प्रेमसिंह/रामचरण	पोलायकलों	उपाध्यक्ष
3	श्रीमती भगवतीबाई/बाबूलाल	बिनाया	उपाध्यक्ष
4	श्री रामचन्द्र/बल्देवसिंह	पोलायकलों	संचालक
5	श्री प्रकाशचन्द्र/मोतीलाल अनोखीमोती	पोलायकलों	संचालक
6	श्री शिवराज/हजारीलाल	पोलायकलों	संचालक
7	श्रीमती कांताबाई/शिवनारायण	पोलायकलों	संचालक
8	श्री मदनलाल/नन्नुलाल	ईमलीखेडा	संचालक
9	श्रीमती राधेश्यामबाई/भवानीशंकर	पोलायकलों	संचालक
10	श्री ठाकुरप्रसाद/जुगलकिशोर	पोलायकलों	संचालक
11	श्री विष्णुप्रसाद/हरिचरण वर्मा	पोलायकलों	संचालक

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पोलायकलों का कार्यालयीन अभिलेख में पंजीयन क्रमांक—डी.आर.—शाजापुर—1387, दिनांक 27 मार्च 2025 पर पंजीकृत करता हूँ तथा यह भी आदेशित करता हूँ कि प्रभावित संस्था परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के सभी ग्रामों को अपने कार्यक्षेत्र से पृथक् करने संबंधी पंजीकृत उपविधि में नियमानुसार संशोधन भी करें. संस्था का "संसाधन वर्ग" अन्तर्गत पंजीकृत की गई है.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2043)

शाजापुर, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अंतर्गत]

क्र. पंजीयन-2025-306.— बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अव. बडोदिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 117, दिनांक 17 दिसम्बर 1967 है (जिसे आगे प्रभावित समिति कहा गया है) को पुनर्गठित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खड़ी (जिसे आगे परिणामी समिति कहा गया है) बनाने हेतु मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक सीओपी-0066-2023-15-1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680 भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देश के पालन में, पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार JWC की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 से गठित जिला-स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 9 मार्च 2023 द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित अव.डोदिया को पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खड़ी का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया. उपरोक्तानुसार JWC की बैठक के द्वारा चिन्हांकन उपरान्त बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अव. बडोदिया के पुनर्गठन के पश्चात् नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खड़ी के गठन हेतु प्रशासक/प्रबन्धक बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अव. बडोदिया को विधिवत् आमसभा आहूत कर आगामी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया.

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अव. बडोदिया द्वारा आहूत आमसभा दिनांक 13 फरवरी 2025 में संस्था को विभाजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया. आमसभा में पारित प्रस्ताव अनुसार प्रभावित समिति एवं परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार ग्राम सम्मिलित करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया:-

प्रभावित समिति का नाम (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र (3)
प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अव. बडोदिया.	अव. बडोदिया.	खड़ी टांडाखुर्द (वर्तमान में अस्तित्व में नहीं एवं अव. बडोदिया, अवन्तिपुरा, नेवजखेड़ी, गांगलाखेड़ी, देवनखेड़ी, हन्नुखेड़ी, मोहम्मदपुर,पुवाडिया, पगरावदखुर्द, पगरावदकलां, लालापुरा, शम्भुपुरा, खेरखेड़ी, सालरिया, बगनाखेड़ी
परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खड़ी.	खड़ी	खड़ी, टाण्डाखुर्द.

संस्था का पुनर्गठन संस्था व सदस्यों के हितों पर असर करता है, इसलिये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के अन्तर्गत प्रभावित समिति को अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिये कार्यालयीन पत्र सूचना-पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1219 शाजापुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2024 एवं धारा 16 (5) के अन्तर्गत परिणामी संस्था के सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1218, दिनांक 18 दिसम्बर 2024 जारी किया गया था सूचना-पत्र जारी होकर प्रभावित समिति एवं सदस्यों को विधिवत् तामील हो जाने के पश्चात् भी निर्धारित समयवधि में सदस्यों की ओर से कोई असहमति प्राप्त नहीं हुई है. एकीकृत सहकारी प्रबंध सूचना प्रणाली (icmis) पोर्टल पर पैक्स पुनर्गठन की कोई सुविधा नहीं होने से आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल कार्यालयीन के पत्र क्रमांक-आईटी-2025-90, भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2025 मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अन्तर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अव. बडोदिया के पुनर्गठन पश्चात् बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खड़ी का पंजीयन किये जाने योग्य पाया गया है.

एतद्वारा मैं, ओमप्रकाश गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी. दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ एवं नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खड़ी का पंजीयन करता हूँ तथा धारा 48(1) के तहत निम्नानुसार प्रथम संचालक मण्डल को आदेश दिनांक से तीन माह की अवधि हेतु नामांकित करता हूँ:-

क्र.	नाम	निवासी	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री दिलीपसिंह/भोनीसिंह	खड़ी	अध्यक्ष
2	श्री अनिल/शिवनारायण	खड़ी	उपाध्यक्ष
3	श्रीमती रामकन्या/बनेसिंह	टांडाखुर्द	उपाध्यक्ष
4	श्री देवीसिंह/मानसिंह	टांडाखुर्द	संचालक
5	श्री नंदकिशोर/मांगीलाल	खड़ी	संचालक
6	श्री मनोहरसिंह/मांगीलाल	खड़ी	संचालक
7	श्री दिलीसिंह/हरिसिंह	खड़ी	संचालक
8	श्री संतोष/सूरजमल	टांडाखुर्द	संचालक
9	श्री अमरसिंह/कानाजी	खड़ी	संचालक
10	श्री सुभाष/नारायणसिंह	खड़ी	संचालक
11	श्रीमती देवकुंवरबाई/बहादुरसिंह	खड़ी	संचालक

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खड़ी का कार्यालयीन अभिलेख में पंजीयन क्रमांक -डी. आर.-शाजापुर-1388, दिनांक 27 मार्च 2025 पर पंजीकृत करता हूँ तथा यह भी आदेशित करता हूँ कि प्रभावित संस्था परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के सभी ग्रामों को अपने कार्यक्षेत्र से पृथक् करने संबंधी अपनी पंजीकृत उपविधि में नियमानुसार संशोधन भी करें. संस्था का "संसाधन वर्ग" अन्तर्गत पंजीकृत की गई है.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2044)

शाजापुर, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

क्र. पंजीयन-2025-307.- बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित अव. बडोदिया जिसका पंजीयन क्रमांक 117 दिनांक 17 दिसम्बर 1967 है (जिसे आगे प्रभावित समिति कहा गया है) को पुनर्गठित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित खड़ी (जिसे आगे परिणामी समिति कहा गया है) बनाने हेतु मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सीओपी-0066-2023-15-1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार JWC की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित अव. बडोदिया को पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित खड़ी का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया।

उपरोक्तानुसार JWC की बैठक द्वारा चिन्हांकन उपरान्त बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित अव. बडोदिया के पुनर्गठन के पश्चात् नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खड़ी के गठन हेतु प्रशासक/प्रबन्धक, बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अव. बडोदिया को विधिवत् आमसभा आहूत कर आगामी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अव. बडोदिया द्वारा आहूत आमसभा दिनांक 13 फरवरी 2025 में संस्था को विभाजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। आमसभा में पारित प्रस्ताव अनुसार प्रभावित समिति एवं परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार ग्राम सम्मिलित करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया:-

प्रभावित समिति का नाम (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र (3)
प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अव. बडोदिया।	अव. बडोदिया	खड़ी टांडाखुर्द (वर्तमान में अस्तित्व में नहीं) एवं अव. बडोदिया, अवन्तिपुरा, नेवजखेडी, गांगलाखेडी, देवनखेडी, हन्नुखेडी, मोहम्मदपुर, पुवाडिया, पगरावदखुर्द, पगरावदकलां, लालापुरा, शम्भुपुरा, खेरखेडी, सालरिया, बगनाखेडी।
परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खड़ी	खड़ी	खड़ी, टाण्डाखुर्द।

संस्था का पुनर्गठन संस्था व सदस्यों के हितों पर असर करता है, इसलिये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के अन्तर्गत प्रभावित समिति को अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिये कार्यालयीन पत्र सूचना-पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1219 शाजापुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2024 एवं धारा 16 (5) के अन्तर्गत परिणामी संस्था के सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1218 दिनांक 18 दिसम्बर 2024 जारी किया गया था सूचना-पत्र जारी होकर प्रभावित समिति एवं सदस्यों को विधिवत् तामील हो जाने के पश्चात् भी निर्धारित समयवधि में सदस्यों की ओर से कोई असहमति प्राप्त नहीं हुई है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 9 के अन्तर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अव. बडोदिया के पुनर्गठन पश्चात् बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित खड़ी का पंजीयन किये जाने योग्य पाया गया है।

अतः मैं, ओ.पी. गुप्ता उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 16 (3) के अंतर्गत यह आदेश देता हूँ कि प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अव. बडोदिया एवं परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खड़ी निम्नानुसार अपने आस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन करें:-

प्रभावित समिति का नाम (1)	पंजीयन क्र. व दिनांक (2)	मुख्यालय (3)	कार्यक्षेत्र (4)
प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, अव. बडोदिया.	117 / 17-12-1967	अव. बडोदिया	खड़ी, टांडाखुर्द, (वर्तमान में अस्तित्व में नहीं) अव. बडोदिया अवन्तिपुरा, नेवजखेडी, गांगलाखेडी, देवनखेडी, हन्नुखेडी, मोहम्मदपुर, पुवाडिया, पगरावंदखुर्द, पगरावदकलां, लालापुरा, शम्भुपुरा, खेरखेडी, सालरिया, बगनाखेडी.
परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित खड़ी.	डी.आर./ शाजा./ 1388 दिनांक 27-3-2025	खड़ी	खड़ी, टाण्डाखुर्द,

1. पुनर्गठन आधार पर अलग होने पर शासन से प्रदत्त अंशपूँजी का अंशों के अनुपात में एवं सदस्यों की अंशपूँजी के संबंध में निर्देश यह है कि उसे कार्यक्षेत्र के मान से विभाजित की जावे.
2. पूर्ववर्ती संस्था के पास रक्षित कोष तथा निधियों का बंटवारा हस्तांतरित अंशों के अनुपात के मान से विभाजित किया जाये.
3. पूर्ववर्ती संस्था मुख्यालय पर स्थाई अचल सम्पत्ति गोदाम भवन एवं भूमि हो तो उसे अंशों के अनुपात में विभाजन करे.
4. संस्था में संचित लाभ व हानि का बंटवारा अंशों के अनुपात में किया जावे.
5. शासकीय तथा बैंक के ऋण का विभाजन भी वास्तविक देयता अथवा अंशों के अनुपात में किया जावे.
6. पूर्ववर्ती संस्था के पास उपलब्ध डेड स्टॉक को अंशों के अनुपात में विभाजन करें.
7. कर्मचारियों का विभाजन नियमानुसार प्रभावित संस्था के संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ही होगा.
8. प्रभावित संस्था परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के सभी ग्रामों को अपने कार्यक्षेत्र से पृथक् करने संबंधी अपनी पंजीकृत उपविधि में नियमानुसार संशोधन भी करें.

शाजापुर, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

क्र. पंजीयन-2025-308.-बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कालापीपल जिसका पंजीयन क्रमांक 120, दिनांक 17 दिसम्बर 1966 है (जिसे आगे प्रभावित समिति कहा गया है) को पुनर्गठित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पासीसर (जिसे आगे परिणामी समिति कहा गया है) बनाने हेतु मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सीओपी-0066-2023-15-1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक साख-विधि-2023-680 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार JWC की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित कालापीपल को पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पासीसर का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया.

उपरोक्तानुसार JWC की बैठक द्वारा चिन्हांकन उपरान्त बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित कालापीपल के पुनर्गठन के पश्चात् नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पासीसर के गठन हेतु प्रशासक/प्रबन्धक, बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित कालापीपल को विधिवत् आमसभा आहूत कर आगामी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया.

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कालापीपल द्वारा आहूत आमसभा दिनांक 20 फरवरी 2025 में संस्था को विभाजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया. आमसभा में पारित प्रस्ताव अनुसार प्रभावित समिति एवं परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार ग्राम सम्मिलित करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया:-

प्रभावित समिति का नाम (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र (3)
प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कालापीपल.	कालापीपल	पासीसर, रोसी, भरदी, कुठाली, धुबोटी (वर्तमान में अस्तित्व में नहीं) एवं कालापीपल ग्राम, पानखेडी जाबडियाभील, भूरियाखजुरिया, डोराबाद, कालापीपल मंडी.
परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पासीसर.	पासीसर	पासीसर, रोसी, भरदी, कुठाली, धुबोटी.

संस्था का पुनर्गठन संस्था व सदस्यों के हितों पर असर करता है, इसलिये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के अन्तर्गत प्रभावित समिति को अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिये कार्यालयीन पत्र सूचना-पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1222 शाजापुर दिनांक 18 दिसम्बर 2024 एवं धारा 16 (5) के अन्तर्गत परिणामी संस्था के सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1215 दिनांक 18 दिसम्बर 2024 जारी किया गया था सूचना-पत्र जारी होकर प्रभावित समिति एवं सदस्यों को विधिवत् तामील हो जाने के पश्चात् भी निर्धारित समयवधि में सदस्यों की ओर से कोई असहमति प्राप्त नहीं हुई है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अन्तर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित कालापीपल के पुनर्गठन पश्चात् बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पासीसर का पंजीयन किये जाने योग्य पाया गया है.

अतः मैं, ओ.पी. गुप्ता उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला शाजापुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के अंतर्गत यह आदेश देता है कि प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित कालापीपल एवं परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पासीसर निम्नानुसार अपने आस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन करें:-

प्रभावित समिति का नाम (1)	पंजीयन क्र. व दिनांक (2)	मुख्यालय (3)	कार्यक्षेत्र (4)
प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कालापीपल.	120/17-12-1966	कालापीपल	पासीसर, रोसी, भरदी, कुठाली धुबोटी (वर्तमान में अस्तित्व में नहीं) एवं कालापीपल ग्राम, पानखेडी, जाबडियाभील भूरियाखजुरिया, डोराबाद, कालापीपल मंडी.
परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पासीसर.	डी.आर./एसजेआर/1386 दिनांक 27-3-2025	पासीसर	पासीसर, रोसी, भरदी, कुठाली धुबोटी.

1. पुनर्गठन आधार पर अलग होने पर शासन से प्रदत्त अंशपूँजी का अंशों के अनुपात में एवं सदस्यों की अंशपूँजी के संबंध में निर्देश यह है कि उसे कार्यक्षेत्र के मान से विभाजित की जावे.
2. पूर्ववर्ती संस्था के पास रक्षित कोष तथा निधियों का बंटवारा हस्तांतरित अंशों के अनुपात के मान से विभाजित किया जाये.
3. पूर्ववर्ती संस्था मुख्यालय पर स्थाई अचल सम्पत्ति गोदाम भवन एवं भूमि हो तो उसे अंशों के अनुपात में विभाजन करे.
4. संस्था में संचित लाभ व हानि का बंटवारा अंशों के अनुपात में किया जावे.
5. शासकीय तथा बैंक के ऋण का विभाजन भी वास्तविक देयता अथवा अंशों के अनुपात में किया जावे।
6. पूर्ववर्ती संस्था के पास उपलब्ध डेड स्टॉक को अंशों के अनुपात में विभाजन करें.
7. कर्मचारियों का विभाजन नियमानुसार प्रभावित संस्था के संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ही होगा.
8. प्रभावित संस्था परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के सभी ग्रामों को अपने कार्यक्षेत्र से पृथक् करने संबंधी अपनी पंजीकृत उपविधि में नियमानुसार संशोधन भी करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2046)

शाजापुर, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अंतर्गत]

क्र. पंजीयन-2025-309.- बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित कालापीपल जिसका पंजीयन क्रमांक 120 दिनांक 17 दिसम्बर 1966 है (जिसे आगे प्रभावित समिति कहा गया है) को पुनर्गठित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पासीसर (जिसे आगे परिणामी समिति कहा गया है) बनाने हेतु मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सीओपी-0066-2023-15-1 दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार JWC की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 से गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 9 मई 2023 द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित कालापीपल को पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पासीसर का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया. उपरोक्तानुसार JWC की बैठक के द्वारा चिन्हांकन उपरान्त बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित कालापीपल के पुनर्गठन के पश्चात् नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पासीसर के गठन हेतु प्रशासक/प्रबन्धक, बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित कालापीपल को विधिवत् आमसभा आहूत कर आगामी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया.

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित कालापीपल द्वारा आहूत आमसभा दिनांक 20 फरवरी 2025 में संस्था को विभाजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया. आमसभा में पारित प्रस्ताव अनुसार प्रभावित समिति एवं परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार ग्राम सम्मिलित करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया:-

प्रभावित समिति का नाम (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र (3)
प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कालापीपल.	कालापीपल	पासीसर, रोसी, भरदी, कुठाली, धुबोटी (वर्तमान में अस्तित्व में नहीं) एवं कालापीपल ग्राम, पानखेड़ी जावडियाभील, भूरियाखजुरिया, डोराबाद, कालापीपल मंडी
परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पासीसर.	पासीसर	पासीसर, रोसी, भरदी, कुठाली, धुबोटी.

संस्था का पुनर्गठन संस्था व सदस्यों के हितों पर असर करता है, इसलिये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के अन्तर्गत प्रभावित समिति को अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिये कार्यालयीन पत्र सूचना-पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1222 शाजापुर दिनांक 18 दिसम्बर 2024 एवं धारा 16 (5) के अन्तर्गत परिणामी संस्था के सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1215 दिनांक 18 दिसम्बर 2024 जारी किया गया था सूचना-पत्र जारी होकर प्रभावित समिति एवं सदस्यों को विधिवत् तामील हो जाने के पश्चात् भी निर्धारित समयवधि में सदस्यों की ओर से कोई असहमति प्राप्त नहीं हुई है. एकीकृत सहकारी प्रबंध सूचना प्रणाली (icmis) पोर्टल पर पैक्स पुनर्गठन की कोई सुविधा नहीं होने से आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल कार्यालयीन के पत्र क्रमांक-आईटी-2025-90 भोपाल दिनांक 4 मार्च 2025 मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अन्तर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित कालापीपल के पुनर्गठन पश्चात् बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पासीसर का पंजीयन किये जाने योग्य पाया गया है.

अतः मैं, ओमप्रकाश गुप्ता उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला शाजापुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ एवं नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पासीसर का पंजीयन करता हूँ, तथा धारा 48 (1) के तहत निम्नानुसार प्रथम संचालक मण्डल को आदेश दिनांक से तीन माह की अवधि हेतु नामांकित करता हूँ:-

क्र. (1)	नाम (2)	निवासी (3)	पद (4)
1	श्री बाबूलाल / फुन्दीलाल	ग्राम पासीसर	अध्यक्ष
2	श्री केदारसिंह / भागीरथ	ग्राम पासीसर	उपाध्यक्ष
3	श्री मदनसिंह / जगन्नाथ	ग्राम पासीसर	उपाध्यक्ष
4	श्री भगवानसिंह / अजबसिंह	ग्राम भरदी	संचालक
5	श्री भगवानसिंह / देवीसिंह	ग्राम भरदी	संचालक
6	श्री मदनसिंह / कुवरजी	ग्राम धुबोटी	संचालक
7	श्री नारायणसिंह / नाथुसिंह	ग्राम पासीसर	संचालक
8	श्री विक्रमसिंह / रामप्रसाद	ग्राम पासीसर	संचालक
9	श्री विक्रमसिंह / गिरधारी	ग्राम भरदी	संचालक
10	श्रीमती रसकुवरबाई / सौभागसिंह	ग्राम भरदी	संचालक
11	श्री ओमप्रकाश / बहादुरसिंह	ग्राम पासीसर	संचालक

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पासीसर का कार्यालयीन अभिलेख में पंजीयन क्रमांक -डी. आर.-शाजापुर-1386, दिनांक 27 मार्च 2025 पर पंजीकृत करता हूँ तथा यह भी आदेशित करता हूँ कि प्रभावित संस्था परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के सभी ग्रामों को अपने कार्यक्षेत्र से पृथक करने संबंधी अपनी पंजीकृत उपविधि में नियमानुसार संशोधन भी करें. संस्था को "संसाधन वर्ग" अन्तर्गत पंजीकृत की गई है.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2047)

शाजापुर, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) के अंतर्गत]

क्र. पंजीयन-2025-310.- बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित बोलाई जिसका पंजीयन क्रमांक 1370, दिनांक 30 नवम्बर 1967 है (जिसे आगे प्रभावित समिति कहा गया है) को पुनर्गठित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई-II (जिसे आगे परिणामी समिति कहा गया है) बनाने हेतु मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सीओपी-0066-2023-15-1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-साख-विधि-2023-680, भोपाल दिनांक 25 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार JWC की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई को पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई-II का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया.

उपरोक्तानुसार JWC की बैठक द्वारा चिन्हांकन उपरान्त बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई के पुनर्गठन के पश्चात् नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई-II के गठन हेतु प्रशासक/प्रबन्धक, बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई को विधिवत् आमसभा आहूत कर आगामी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई द्वारा आहूत आमसभा दिनांक 15 फरवरी 2025 में संस्था को विभाजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। आमसभा में पारित प्रस्ताव अनुसार प्रभावित समिति एवं परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार ग्राम सम्मिलित करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया:—

प्रभावित समिति का नाम (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र (3)
प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई.	बोलाई	बोलाई वार्ड क्रमांक 13 से 20 तक, ग्राम बांगली (वर्तमान में अस्तित्व में नहीं) एवं बोलाई वार्ड क्रमांक 01 से 12 तक.
परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई-II	बोलाई-II	बोलाई वार्ड क्रमांक 13 से 20 तक, ग्राम बांगली.

संस्था का पुनर्गठन संस्था व सदस्यों के हितों पर असर करता है, इसलिये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के अन्तर्गत प्रभावित समिति को अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिये कार्यालयीन पत्र सूचना-पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1224 शाजापुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2024 एवं धारा 16 (5) के अन्तर्गत परिणामी संस्था के सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1214, दिनांक 18 दिसम्बर 2024 जारी किया गया था सूचना-पत्र जारी होकर प्रभावित समिति एवं सदस्यों को विधिवत् तामील हो जाने के पश्चात् भी निर्धारित समयवधि में सदस्यों की ओर से कोई असहमति प्राप्त नहीं हुई है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अन्तर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई के पुनर्गठन पश्चात् बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई-II का पंजीयन किये जाने योग्य पाया गया है।

अतः मैं, ओ.पी. गुप्ता उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के अंतर्गत यह आदेश देता है कि प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई एवं परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई-II निम्नानुसार अपने आस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन करें:—

प्रभावित समिति का नाम (1)	पंजीयन क्र. व दिनांक (2)	मुख्यालय (3)	कार्यक्षेत्र (4)
प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई.	1370/दि. 30-11-1967	बोलाई	बोलाई, वार्ड क्रमांक 13 से 20 तक, ग्राम बांगली (वर्तमान में अस्तित्व में नहीं) एवं बोलाई वार्ड क्रमांक 01 से 12 तक.
परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित बोलाई-II.	डी.आर./शा./1389 दिनांक 27-3-2025	बोलाई-II	बोलाई वार्ड क्रमांक 13 से 20 तक, ग्राम बांगली.

1. पुनर्गठन आधार पर अलग होने पर शासन से प्रदत्त अंशपूँजी का अंशों के अनुपात में एवं सदस्यों की अंशपूँजी के संबंध में निर्देश यह है कि उसे कार्यक्षेत्र के मान से विभाजित की जावे।
2. पूर्ववर्ती संस्था के पास रक्षित कोष तथा निधियों का बंटवारा हस्तांतरित अंशों के अनुपात के मान से विभाजित किया जाये।
3. पूर्ववर्ती संस्था मुख्यालय पर स्थाई अचल सम्पत्ति गोदाम भवन एवं भूमि हो तो उसे अंशों के अनुपात में विभाजन करे।
4. संस्था में संचित लाभ व हानि का बंटवारा अंशों के अनुपात में किया जावे।
5. शासकीय तथा बैंक के ऋण का विभाजन भी वास्तविक देयता अथवा अंशों के अनुपात में किया जावे।
6. पूर्ववर्ती संस्था के पास उपलब्ध डेड स्टॉक को अंशों के अनुपात में विभाजन करें।
7. कर्मचारियों का विभाजन नियमानुसार प्रभावित संस्था के संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ही होगा।
8. प्रभावित संस्था परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के सभी ग्रामों को अपने कार्यक्षेत्र से पृथक् करने संबंधी अपनी पंजीकृत उपविधि में नियमानुसार संशोधन भी करें।

(G-2048)

शाजापुर, दिनांक 27 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अंतर्गत]

क्र. पंजीयन-2025-311.- बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई जिसका पंजीयन क्रमांक 1370, दिनांक 30 नवम्बर 1967 है (जिसे आगे प्रभावित समिति कहा गया है) को पुनर्गठित कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई-II (जिसे आगे परिणामी समिति कहा गया है) बनाने हेतु मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सीओपी-0066-2023-15-1, दिनांक 17 फरवरी 2023 से प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक- साख-विधि-2023-680 भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देश के पालन में पैक्स पुनर्गठन हेतु निर्धारित न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड अनुसार JWC की बैठक दिनांक 28 अक्टूबर 2024 से गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 9 मई 2023 द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई को पुनर्गठन कर नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई-II का गठन किये जाने हेतु चिन्हांकन किया गया। उपरोक्तानुसार JWC की बैठक के द्वारा चिन्हांकन उपरान्त बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई के पुनर्गठन के पश्चात् नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई-II के गठन हेतु प्रशासक/प्रबन्धक, बहुउद्देशीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई को विधिवत् आमसभा आहूत कर आगामी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई द्वारा आहूत आमसभा दिनांक 15 फरवरी 2025 में संस्था को विभाजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। आमसभा में पारित प्रस्ताव अनुसार प्रभावित समिति एवं परिणामी समिति के कार्यक्षेत्र में निम्नानुसार ग्राम सम्मिलित करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया:-

प्रभावित समिति (1)	मुख्यालय (2)	कार्यक्षेत्र (3)
प्रभावित समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई.	बोलाई	बोलाई वार्ड क्रमांक 13 से 20 तक, ग्राम बांगली (वर्तमान में अस्तित्व में नहीं) एवं बोलाई वार्ड क्रमांक 01 से 12 तक.
परिणामी समिति बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई-II	बोलाई-II	बोलाई वार्ड क्रमांक 13 से 20 तक, ग्राम बांगली.

संस्था का पुनर्गठन संस्था व सदस्यों के हितों पर असर करता है, इसलिये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 (3) के अन्तर्गत प्रभावित समिति को अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिये कार्यालयीन पत्र सूचना-पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1224 शाजापुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2024 एवं धारा 16 (5) के अन्तर्गत परिणामी संस्था के सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक-पंजीयन-2024-1214, दिनांक 18 दिसम्बर 2024 जारी किया गया था सूचना-पत्र जारी होकर प्रभावित समिति एवं सदस्यों को विधिवत् तामील हो जाने के पश्चात् भी निर्धारित समयवधि में सदस्यों की ओर से कोई असहमति प्राप्त नहीं हुई है. एकीकृत सहकारी प्रबंध सूचना प्रणाली (icmis) पोर्टल पर पैक्स पुनर्गठन की कोई सुविधा नहीं होने से आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल कार्यालयीन के पत्र क्रमांक-आईटी-2025-90 भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2025 मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अन्तर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई के पुनर्गठन पश्चात् बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित बोलाई-II का पंजीयन किये जाने योग्य पाया गया है.

अतः मैं, ओमप्रकाश गुप्ता उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञापित क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 (1) के अंतर्गत उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ एवं नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई-II का पंजीयन करता हूँ, तथा धारा 48(1) के तहत निम्नानुसार प्रथम संचालक मण्डल को आदेश दिनांक से तीन माह की अवधि हेतु नामांकित करता हूँ:-

क्र.	नाम	निवासी	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अशोक नायक/गोपालसिंह	बोलाई	अध्यक्ष
2	श्री आशीष कुमार/होकमसिंह	बोलाई	उपाध्यक्ष
3	श्री ईश्वरसिंह/भेरूसिंह	बोलाई	संचालक
4	श्री संतोष कुमार/सियाराम	बोलाई	संचालक
5	श्री हरिनारायण/सूरजसिंह	बोलाई	संचालक
6	श्री मूलचन्द/निर्भयसिंह	बोलाई	संचालक
7	श्री सतीष कुमार/हरिनारायण	बोलाई	संचालक
8	श्रीमती पवित्राबाई/राजमल	बोलाई	संचालक
9	श्रीमती अनुसुईयाबाई/सुरेशचन्द्र	बोलाई	संचालक
10	श्रीमती विद्याबाई/राजकुमार	बोलाई	संचालक
11	श्री तकेसिंह/आनन्दीलाल	बोलाई	संचालक

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई-II का कार्यालयीन अभिलेख में पंजीयन क्रमांक -डी.आर.-शाजापुर-1389, दिनांक 27 मार्च 2025 पर पंजीकृत करता हूँ तथा यह भी आदेशित करता हूँ कि प्रभावित संस्था परिणामी संस्था के कार्यक्षेत्र के सभी ग्रामों को अपने कार्यक्षेत्र से पृथक करने संबंधी अपनी पंजीकृत उपविधि में नियमानुसार संशोधन भी करें. संस्था का "संसाधन वर्ग" अन्तर्गत पंजीकृत की गई है.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2049)

ओमप्रकाश गुप्ता, उप आयुक्त.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2025-वैशाख 19, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

(कुछ नहीं)